बयालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

Fourty Two Annual Report
2019-2020

इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

मोहान, जिला अल्मोड़ा (वाया रामनगर-244715) उत्तराखण्ड

INDIAN MEDICINES PHARMACEUTICAL CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Mohan, Distt. Almora (Via Ramnagar-244715) Uttarakhand

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल व अन्य	1–2
2.	वार्षिक साधारण बैठक की सूचना	3–4
3.	प्रबन्ध निदेशक की ओर से	5
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	6–31
5.	तुलन पत्र आदि	32–54
6.	सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	55–68
7.	नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	69–70

निदेशक मण्डल
(1-4-2019 से 31-3-2020 तक)

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति
प्रबन्ध निदेशक प्रभारी
इन्डियन मैडिसिन्स
फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लि0
मोहान (वाया रामनगर-244715)
जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
(24.09.2018 से 06.07.2020 तक)

2. डॉ. मुकेश कुमार
प्रबन्ध निदेशक
इन्डियन मैडिसिन्स
फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लि0
मोहान (वाया रामनगर-244715)
जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
(06.07.2020 से आज तक)

3. श्री विक्रम सिंह
निदेशक
आयुष मंत्रालय, आयुष भवन
आईएनए,बी-ब्लॉक,जीपीओ कॉम्पलैक्स
नई दिल्ली-110023
(04.07.2019 से आज तक)

4. श्री राज कुमार
उप सचिव (आईएफडी-आयुष)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
(11.01.2019 से आज तक)

5. श्री प्रमोद कुमार पाठक
अपर सचिव (आयुष)
आयुष मंत्रालय, आयुष भवन
आईएनए,बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स
नई दिल्ली-110023
(20.07.2017 से 04.07.2019 तक)

6. श्री फ्रैन्कलीन एल. खोबुंग
निदेशक (आयुष)
आयुष मंत्रालय, आयुष भवन
आईएनए,बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स
नई दिल्ली-110023
(05.10.2016 से 26.09.2019 तक)

कम्पनी सचिव	:	पंकज कुमार झा
लेखा परीक्षक	:	मै. अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स चार्टड एकाउण्टेन्ट 94–डी, पॉकेट–एफ, मयूर विहार, फेस–2 दिल्ली–110091 दूरभाष : 011–22787142 E-mail : anilshaliniandassociates@gmail.com
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक, मोहान, जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
	:	एक्सिस बैंक लिमिटेड रामनगर, जिला–नैनीताल (उत्तराखण्ड)
	:	भारतीय स्टेट बैंक, निर्माण भवन, नई दिल्ली
	:	कॉर्पोरेशन बैंक, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
पंजीकृत कार्यालय एवं इकाई (1)	:	मोहान जिला अल्मोड़ा, (वाया रामनगर–244715) उत्तराखण्ड दूरभाष : (05947) 287844, 287828, 287837, 287825
इकाई (2)	:	इमलीखेड़ा जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 247667

जी.एस.टी.आई.एन.: 05AABCI2243R1ZF GSTIN : 05AABCI2243R1ZF PAN : AABCI2243R पैन : AABCI2243R

इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

मोहान, जिला अल्मोड़ा (वाया रामनगर-244715) उत्तराखण्ड

INDIAN MEDICINES PHARMACEUTICAL CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Mohan, Distt. Almora (Via Ramnagar-244715) Uttarakhand

पत्र संख्या- आईएमपीसीएल/ए.जी.एम./2020-21/ दिनांक: 22.02.2021

सूचना

महोदय,

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की बयालीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक को स्थगित किया गया और उसका आयोजन निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगा :-

दिनांक	:	26.02.2021
दिन	:	शुक्रवार
समय	:	अपराह्न 12:00
स्थान	:	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।**

निम्नलिखित व्यवसाय को संचालित करने के प्रयोजनार्थ

सामान्य व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण की रिपोर्ट, लाभ और हानि विवरण तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उन पर अभ्युक्तियों तथा संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित उस तारीख के तुलन पत्र का प्रापण, विचारण, अनुमोदन एवं अंगीकरण करना ।
2. वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स अचल श्रीवास्तव एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड फर्म के पारिश्रमिक पर विचार कर उसका निर्धारण करना।

बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते इंडियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : हरिद्वार

दिनांक : 22.02.2021

ह0

(सी एस पंकज कुमार झा)

कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :-

मोहान (वाया - रामनगर), जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड - 244715

सेवा में,

कंपनी के सभी सदस्य, लेखा परीक्षक, सभी निदेशक ।

टिप्पण :

बैठक में उपस्थित होने और अपना मत देने के हकदार सदस्य अपने बजाय किसी मुख्तार प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार होगा।

संलग्नक : प्रतिनिधि मुख्तार प्रपत्र

प्रतिलिपि:-1. अवर सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी. ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

2. कंपनी पंजीयक, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड, 10/499-बी., एलनगंज, खलासी लाइन, कानपुर-208002 (उ.प्र.)।

बोर्ड के आदेश द्वारा

कृते इंडियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोहान

दिनांक : 22.02.2021

ह0

(सी एस पंकज कुमार झा)

कम्पनी सचिव

पाद टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 और 136 के अंतर्गत शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की जा रही है/प्राप्त कर ली गई है।

प्रतिनिधि मुख्तार प्रपत्र

धारित अंश____________________________

पंजीकृत पन्ना सं.______________________

नाम____

"मैं____________________________________निवासी_________________________________ ____________________________इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सदस्य होने के नाते _________________________________निवासी_____________________________________को शुक्रवार 26 फरवरी, 2021 को अपराह्न 12:00 बजे और यह तारीख स्थगित होने पर अन्य निर्धारित तारीख को आयोजित होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में अपने लिए और अपनी ओर से मतदान करने हेतु एतद्द्वारा मुख्तार प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं।"

हस्ताक्षर____________

दिन____________को हस्ताक्षरित____________

टिप्पण : बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व मुख्तारनामा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर जमा हो जाना चाहिए।

प्रबन्ध निदेशक की ओर से

मैं अपने और निदेशक मण्डल की तरफ से इस कठिन समय में आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस समय कोविड से सुरक्षित होंगे। मैं इस अवसर पर अपने सभी सीमावर्ती योद्धाओं जैसे पुलिसकर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वच्छताकर्मियों को हमें सुरक्षित रखने में उनके किये गये प्रयासों का आभार प्रकट करता हूँ। आई.एम.पी.सी.एल. विभिन्न राष्ट्रीय एवं स्थानीय संस्थानों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों को सहयोग करते हुए कोविड महामारी के खिलाफ लड़ने में आगे रहा है। आईएमपीसीएल ने राहत कोष में 28.54 लाख रुपये का योगदान दिया। हमारी द्वारा किये गये कोविड राहत पहल का विवरण इस रिपोर्ट में आगे दर्शाया गया है। वर्ष के अन्तिम तिमाही में कोविड महामारी की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था, लोगों के जीवन तथा आजीविका के साथ कम्पनी की बिक्री और मुनाफे पर भी असर पड़ा। कोविड महामारी के प्रभाव के बावजूद आईएमपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 97.04 करोड़ का व्यापार कर 11.76 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हासिल की है। वर्ष का कुल लाभ 0.45 करोड़ है जोकि पिछले साल की तुलना में कुछ कमी को दर्शाता है। हालांकि वर्ष 2019-20 के लाभ कम होने का कारण निगम में कार्यरत कर्मचारी के लिए तीसरे वेतन संशोधन को लागू करना भी था, जोकि 2017 से लम्बित था। इस वर्ष निगम ने कुछ चिन्हित उत्पादों पर निवेश कर अपनी विकास की प्रगति भी देखी है, इन उत्पादों में से अधिकांश महत्वपूर्ण रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले हैं। इन उत्पादों में वर्ष के दौरान अच्छी वृद्धि दिखी एवं बाजार में अच्छी हिस्सेदारी भी बनाई। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद हमने देश के लगभग हर हिस्से में अपने उत्पादों की आपूर्ति करके अच्छा मुकाम हासिल किया है। लॉकडाउन प्रतिबन्ध में ढिलाई के साथ हम अपनी औषधि माँगकर्ताओं के आवश्यकताओं को निरन्तर पूरा कर रहे हैं।

कोविड के प्रकोप के बाद से आयुर्वेदिक एवं यूनानी उत्पादों जोकि रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, कि माँग में उपभोक्ताओं द्वारा गतिशीलता दर्शायी गई है। केन्द्र सरकार के एकमात्र आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माता के रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता के उत्पादों को बनाने वाला हमारा निगम इस माँग को पूरा करने में सक्षम है। एक संगठन के रूप में आयुर्वेदिक व यूनानी औषधियों में विश्वास के साथ हमनें 42 वर्षों से आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों का प्रचार किया है। गत वर्षों में हमने आयुर्वेदिक एवं यूनानी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए तथा इसे मुख्य धारा में लाने के लिए कई कदम उठाये हैं। हमनें आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाईयों की प्रभावकारिता का प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य शिविर तथा डॉक्टर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी दी, जोकि वर्तमान समय में सामने आ रही है। हमारी मजबूत विरासत और बेजोड़ उत्पादों के पोर्टफोलियो के साथ, हम अपने कारोबार को प्रभावी ढंग से प्रबन्धित करने के लिए आश्वस्त हैं, मुश्किलों की परवाह किये बिना हम अपने हित धारकों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कम्पनी पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने और संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमनें स्वः खपत के लिए इन-हाउस औषधि उद्यान का निर्माण किया है। आज हम कम्पनी के परिसर के भीतर विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों को उगाते हैं। वापस देखने पर लगता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 आसान नहीं था लेकिन मैं अपनी प्रबन्धन टीम तथा उनके अनुभव पर भरोसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर लॉकडाउन के दौरान मेरी टीम के निरन्तर कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम अपनी सफलता का श्रेय उन्हें देते हैं। वही हमारे सच्चे कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने इस स्थिति के दौरान व्यवसाय को आगे बढ़ाया ताकि भविष्य में स्थाई विकास हो सके। मैं आईएमपीसीएल की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए लाईजनर, कच्चे माल आपूर्तक एवं अन्य व्यापारिक सहयोगियों के निरन्तर सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। अन्ततः मैं हमारे प्रशासनिक मंत्रालय - आयुष मंत्रालय को भी उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। हम समाज के लाभ एवं आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भवदीय
(डॉ. मुकेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लि0

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी है।

1. मुख्य बिन्दु :

आपकी कम्पनी के प्रदर्शन की संक्षिप्त जानकारी नीचे तालिका में प्रस्तुत की गई है –

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2019-20 के लिए	वर्ष 2018-19 के लिए
प्रचालन से राजस्व	97.04	86.83
अन्य आय	0.20	0.64
कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.)	0.43	7.66
वर्ष के लिए लाभ (पी.ए.टी.)	0.45	5.58
आरक्षित एवं अधिशेष	23.04	22.65
प्रदत्त अंश पूंजी	51.98	51.98
प्रति अंश अर्जन (मूल एवं मिश्रित)	0.09	1.07
अंश अंकित मूल्य	10.00	10.00

2. अंश पूँजी

प्राधिकृत अंश पूँजी को रु. 75 करोड़ एवं प्रदत्त अंश पूँजी को रु. 51.98 करोड़ दर्ज किया गया है।

3. वित्त

31.03.2020 को स्टेट बैंक से कार्यशील पूँजी के लिए रु. 3.00 करोड़ का नकदी ऋण चल रहा था (पिछले वर्ष रु. 3.00 करोड़)। वर्ष के लिए ब्याज 0.03 करोड़ दर्ज किया गया (पिछले वर्ष रु. 0.13 करोड़)।

4. क्षमता का उपयोगीकरण

मोहान इकाई की लाईसेंस्ड/स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्र.सं.	मद	इकाई	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
			2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1	गोलियां/वटी	किलो	200000.00	200000.00	66120.60	126513.20
2	कैप्सूल्स	किलो	50000.00	50000.00	2731.00	1052.70
3	चूर्ण	किलो	600000.00	600000.00	176485.30	187660.40
4	सिरप	लीटर	300000.00	300000.00	51868.70	67388.60
5	अर्क	लीटर	50000.00	50000.00	18887.40	27666.30
6	आसव	लीटर	500000.00	400000.00	261856.00	355726.00
7	तैल	लीटर	300000.00	300000.00	63553.90	94069.45
8	मरहम	किलो	30000.00	30000.00	2811.50	11346.75
9	अवलेह	किलो	250000.00	250000.00	123129.50	182360.68
10	भस्म	किलो	50000.00	50000.00	3236.80	8394.00
	कुल		**2330000.00**	**2230000.00**	**770680.70**	**1062178.08**

क्रमशः.....2

इमलीखेड़ा (हरिद्वार) इकाई की लाईसेंस्ड/स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्र.सं.	मद	इकाई	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
			2019-20	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**
1	गोलियां/वटी	किलो	22000.00	22000.00	9504.10	214.93
2	कैप्सूल्स	किलो	14000.00	14000.00	-	-
3	चूर्ण	किलो	380000.00	380000.00	73820.90	33158.50
4	सिरप	लीटर	145000.00	145000.00	7736.50	-
5	अर्क	लीटर	-	-	-	-
6	आसव	लीटर	360000.00	360000.00	261142.80	32060.00
7	तैल	लीटर	145000.00	145000.00	13736.30	-
8	मरहम	किलो	23000.00	23000.00	-	-
9	अवलेह	किलो	25000.00	25000.00	281.80	-
10	भस्म	किलो	3000.00	3000.00	254.70	-
	कुल		**1117000.00**	**1117000.00**	**366477.10**	**65433.43**

5. बिक्री आर्वत

कम्पनी ने वर्ष 2018-19 के बिक्री आर्वत रु. 86.83 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रु. 97.04 करोड़ का बिक्री आर्वत हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी ने रु. 150 करोड़ के बिक्री आर्वत का लक्ष्य रखा है। वर्ष के दौरान मोहान तथा इमलीखेड़ा स्थित इकाईयों की बिक्री रु. 59.22 करोड़ तथा आयुर्वेदिक दवाईयों के लिए लोन लाइसेंस फर्म ''श्री धन्वन्तरि हर्बल्स'' तथा यूनानी दवाईयों के लिए ''मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स'' से बिक्री रु. 37.82 करोड़ की है।

6. बिक्री आर्वत का लेखा चित्र

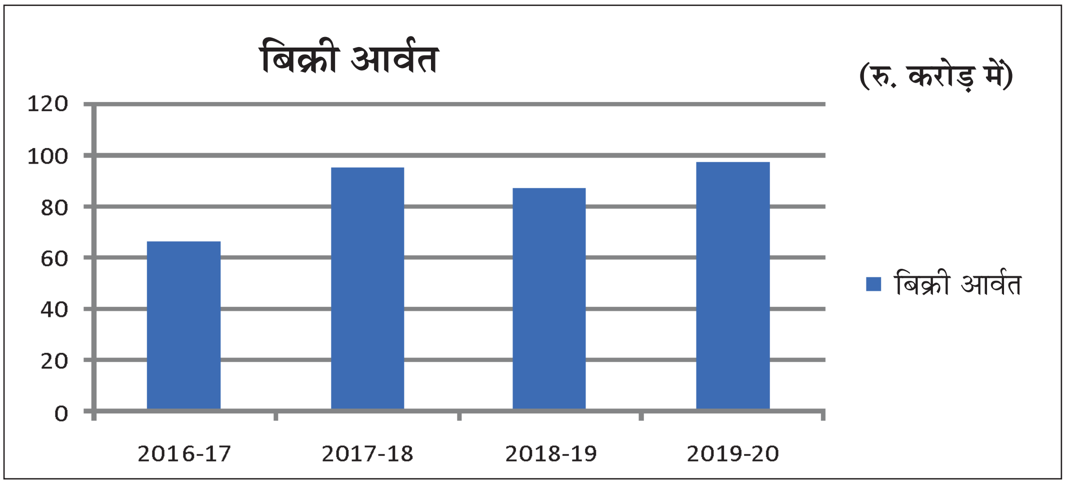

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
रु. 66.45 करोड	रु. 95.21 करोड	रु. 86.83 करोड	रु. 97.04 करोड

क्रमशः.....3

7. वित्तीय परिणाम

वर्ष 2019-20 के लिए संक्षेपित वित्तीय परिणाम तालिका नीचे प्रस्तुत की गई है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2019-20 के लिए	वर्ष 2018-19 के लिए
कर पूर्व लाभ, मूल्यह्रास एवं कर	4.08	11.98
घटाऐं : ब्याज एवं अन्य वित्तीय शुल्क	0.03	0.13
नकद लाभ	4.05	11.85
घटाऐं : मूल्यह्रास	3.62	4.19
कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.)	0.43	7.66
घटाऐं : कर के लिए प्रावधान	(0.02)	2.08
कर उपरान्त लाभ एवं समायोजन	0.45	5.58

8. लाभांश

आपके निर्देशक आपको सूचित करते हैं कि धीरे-धीरे कम्पनी के लाभ में बढ़ोत्तरी हो रही है चूँकि इस वर्ष कम्पनी में वेतन संशोधन किया गया है, अत: कार्यान्वयन के लिए अधिक कार्यशील पूँजी की आवश्यकता है। अत: शेयरधारकों को इस वर्ष के लाभांश का भुगतान प्रस्तावित नहीं किया गया है, जैसे कि प्रबन्धन को अगले वर्ष उच्च कारोबार की उम्मीद है तो लाभांश शेयरधारकों जहाँ तक सम्भव हो, को प्रस्तावित किया जा सकता है।

9. रहतिया एवं देनदारियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त में कच्चे माल, अर्द्ध निर्मित उत्पाद एवं तैयार उत्पाद का मूल्य रु. 26.97 करोड़ दर्ज किया गया है जोकि इस वर्ष की आवर्त का 27.79 प्रतिशत है (पिछले वर्ष 24.84 प्रतिशत)। 31 मार्च 2020 में देनदारी रु. 36.36 करोड़ दर्ज की गई है (पिछले वर्ष रु. 56.71 करोड़)

10. एम0ओ0यू0 लक्ष्य की तुलना में कंपनी की रेटिंग

वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के अनुसार आपकी कंपनी को ''अच्छा'' के रूप में मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कम्पनी की मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। प्रबंधन को आने वाले वर्षो में बेहतर कारोबार का पूरा भरोसा है।

11. सार्वजनिक खजाने में योगदान

आपकी कम्पनी ने आयकर, माल एवं सेवा कर इत्यादि के माध्यम से केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को रु. 1.82 करोड़ की राशि का भुगतान किया है (पिछले वर्ष रु. 2.26 करोड़)।

12. कुटीर एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहन

भारत सरकार के आदेश संख्या एस.ओ. 581(6) दिनांक 23.03.2012 तथा एस.ओ. दिनांक 14.11.2018 द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए एक नई सार्वजनिक क्रय नीति अधिसूचित की है। आदेश के अनुसार कुल वार्षिक क्रय का 25 प्रतिशत लघु एवं कुटीर उद्योग से खरीदा जाना है, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों वाली इकाईयों का 20 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कम्पनी के कुल क्रय रु. 28.76 करोड़ से रु. 6.13 करोड़ का क्रय इन इकाईयों से किया गया।

क्रमश:.....4

13. मानव संसाधन

31.03.2020 को कम्पनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 96 थी, जिसमें अधिकारी की संख्या 12 तथा कर्मचारी की संख्या 84 हैं।

14. मानव संसाधन एवं विकास

कर्मचारी कम्पनी के लिए सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होते हैं। हमने कार्य के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। कल की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए लोगों की दक्षताओं में निवेश करना अधिक महत्वपूर्ण है। नवीनतम बदले परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए तथा एक सफल संगठन के रूप में आगे रहने और बढ़ने के लिए मानव संसाधनों एवं कौशलता को अद्यतन करने की आवश्यता है। अत: कम्पनी ने इसके लिए विभिन्न पहल किये हैं।

कम्पनी कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कौशल कार्यक्रम, आन्तरिक एवं सम्बन्धित संस्थानों/विशेषज्ञों के साथ मिलकर आयोजित करती रहती है।

15. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

31.03.2020 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या 27 (अनुसूचित जाति-26 एवं अनुसूचित जनजाति-1) थी, पिछले वर्ष संख्या 28 (अनुसूचित जाति-27 एवं अनुसूचित जनजाति-1)।

16. अल्पसंख्यक एवं अन्य रूप से सक्षम लोगों का प्रतिनिधित्व

31.03.2020 को अल्पसंख्यक कर्मचारियों की संख्या 03 थी (पिछले वर्ष 03)।

31.03.2020 को अन्य रूप से सक्षम कर्मचारियों की संख्या 02 थी (पिछले वर्ष 02)।

17. मानव सम्बन्ध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने औद्योगिक सम्बन्धित परिदृश्य शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तथा स्वस्थ रहा।

18. कर्मचारी कल्याण

कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बस सुविधा, विभिन्न कल्याण योजनाऐं जारी रखी। जैसे कम्पनी अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त स्वास्थ्य अग्रिम, त्यौहार अग्रिम, दवाईयों पर छूट प्रदान करती है। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कर्मचारी कल्याण एवं उनकी अन्य सुविधाओं के लिए रु. 28.14 लाख का व्यय किया गया। (वर्ष 2018-19 में रु. 23.36 लाख)।

क्रमशः.....5

19. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013 के अधीन प्रकटन

कम्पनी ने अधिनियम 2013 के अनुरूप कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई गई है। यौन उत्पीड़न सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थाई, संविधा, अस्थाई, ट्रैनी) नीति के तहत आते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निदान की गई यौन उत्पीड़न शिकायतों का सारांश निम्नलिखित हैं :

प्राप्त शिकायतों की संख्या – 0
निदान की गई शिकायतों की संख्या – 0

20. वार्षिक विवरणी के उद्धरण

वार्षिक विवरणी का उद्धरण (प्रारूप संख्या एम.जी.टी. 9) में संलग्नक है।

21. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी द्वारा एक जोखिम प्रबन्धन नीति तैयार की गयी है। यह कंपनी के प्रत्येक महत्वपूर्ण जोखिम के लिए जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के प्रबन्धन के साथ कंपनी के अंदर जवाबदेही और अवलोकन के विविध स्तर को संस्थापित करती है। कंपनी ने विविध जोखिम की पहचान की है और पहचान की गयी प्रत्येक जोखिम के लिए शमन योजना भी है।

22. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अनुरूप कर्मचारियों की विवरणी

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सीमा से अधिक पारिश्रमिक लेने वालों का विवरण, कंपनी अधिनियम 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति और पारिश्रमिक) के आधार पर लागू नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरण नहीं किया है।

23. निर्देशकों के उत्तरदायित्व विवरण

अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा मान्यताओं के आधार पर एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं अन्वेक्षक से प्राप्त जानकारी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार, निदेशक निम्नलिखित पुष्टि करते हैं :

23.1) वार्षिक लेखों की तैयारी में, मुख्य बिन्दुओं से सम्बन्धित उचित स्पष्टीकरण के साथ उपयुक्त लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा उसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है।

क्रमश:.....6

23.2) उन्होनें ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा सुसंगत रूप से उनको प्रयुक्त किया गया और लगातार विवेकी एवं समझदार निर्णय एवं आंकलन बनाए गए ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की दशा की दृष्टि सही एवं साफ विवरण और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ दे सकें।

23.3) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुनिश्चित रखने और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए योग्यता की और उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

23.4) 31.03.2020 को समाप्त वर्ष में उन्होनें कामकारी कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैंयार किया है।

23.5) कम्पनी द्वारा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का पालन किया गया है तथा सभी आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त हैं तथा सभी प्रभाव रूप से संचलित हैं।

23.6) सभी उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्होनें उचित प्रणाली तैंयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त है और सभी प्रभाव रूप से प्रचालन करती है।

23.7) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आई.एम.पी.सी.एल. की वित्तीय विवरणी पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ब)) के बिन्दुओं का निरीक्षण किया गया तथा उनके पालन करने के लिए निर्देशित किया गया।

24. निदेशकों की अयोग्यता

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर./ई. दिनांक 05.06.20123 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों की छूट दी गई है।

25. सुरक्षा

सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी में कोई भी घातक दुर्घटना नहीं हुई है। कम्पनी कार्यप्रणाली में सुरक्षा का सतत् ध्यान रखती है। कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

26. पर्यावरण तथा सुरक्षा उपाय

पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।
भू निर्माण एवं फैक्ट्री में उद्यानों की तैयारी एवं रखरखाव।

क्रमशः.....7

27. जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के अध्याय V के प्रावधानों–कंपनी नियम 2014 (जमाओं की स्वीकृति) के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनियों द्वारा जमाओं की स्वीकृति के अधीन कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

28. मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों को नियुक्त किया है। प्रबन्ध निदेशक, नामित निदेशक एवं कम्पनी सचिव कम्पनी के मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किये गये हैं।

29. निदेशक मंडल

निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है। कम्पनी में केवल एक कार्यकारी निदेशक अर्थात् प्रबन्ध निदेशक है तथा अन्य सभी गैर कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित) हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रबन्ध निदेशक पद के लिए कोई भी पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबन्ध निदेशक का पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया था।

29.1) मण्डल में परिवर्तन

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के मण्डल में नामित निदेशक के रूप में श्री विक्रम सिंह (निदेशक आयुष) की नियुक्ति का स्वागत किया, दिनांक 04.07.2019 को श्री विक्रम सिंह को श्री प्रमोद कुमार पाठक, निदेशक (आयुष) के स्थान पर नियुक्त किया गया था। मण्डल ने निदेशक मण्डलों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की।

29.2 महिला निदेशक

वर्तमान में आपके बोर्ड के निदेशकों में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 149 के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम 2014 यह बताता है कि कंपनी के द्वारा कुछ शर्तो के पूरा होने पर निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। हालांकि आपकी कंपनी को आवश्यकीय रूप से इस तरह के नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। अत: निदेशक प्रबंधक की संरचना के लिए आवश्यक प्रावधानों को पूरा किया जा रहा है।

क्रमशः.....8

29.3 बोर्ड की समितियां

एक बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेस के रूप में तथा आवश्यक संगत प्रावधान के लागू कानूनों तथा विधियों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने एक कॉर्पोरेट समाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन किया है। इस समिति की रचना, शक्तियां, भूमिका के संबंध में विवरण, वित्तीय वर्ष 2016-17 दिनांक 25.03.2017 में हुई निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

29.4 स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा

वर्तमान में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया है। हालांकि संगत कानून एवं विधि के साथ पठित लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति इस रिपोर्ट की तारीख पर प्रक्रियाधीन है।

30. वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 173 के साथ पठित कंपनी (बोर्ड बैठक और शक्तियां) नियम के प्रावधान के तहत इस वर्ष के दौरान 5 बैठकें, दिनांक 26.06.2019, 05.08.2019, 09.08.2019, 09.10.2019 तथा 25.01.2020 को आयोजित की गयी है।

31. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन/व्यय

कंपनी नियम, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 134 की उपधारा 3 (एम) के अधीन निर्धारित ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण अनुबंध-2 के रूप में दिये जाते हैं जो इस रिपोर्ट का भाग है।

32. संबंधित पार्टी का लेन-देन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभित सभी संबंधित पार्टी लेन-देन बाजारी आधार पर और व्यवसाय के साधारण तौर थे। वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई लिखित महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं थे, जो कंपनी के हित में संघर्ष उत्पन्न करे। लेखा मानक 18 के अधीन अपेक्षित उचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणी की टिप्पणी के नोट संख्या 29.17 में बनायी गयी है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभित सभी संबंधित पार्टी लेन-देन बाजारी आधार पर और व्यवसाय के साधारण तौर पर होने से फार्म ए ओ सी-2 कंपनी के लिए अपेक्षित नहीं है।

क्रमशः.....9

33. वार्षिक सामान्य बैठक

कम्पनी की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 15.02.2020 को आयोजित की गई।

34. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान सरकार के आधिकारिक भाषा नीति के प्रभावी एवं सफल कर्त्तव्य के लिए प्रयास किये गये। प्रपत्रों तथा नोटिस को द्विभाषीय बनाया गया। वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में भी छापी गई है।

35. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता कम्पनी की व्यवसायिक रणनीति का अभिन्न अंग है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमने हमारी सामाजिक एवं पर्यावरण का भार लिया है। निदेशक मण्डल द्वारा सी.एस.आर. समिति को मंजूदी दे दी गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान सी.एस.आर. के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर के लिए रु. 15.40 लाख आवंटित किये गये तथा रु. 4.21 लाख का व्यय किया गया।

36. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी ने उच्च मानक एवं अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन बनाए रखने की कोशिश की है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए दिनांक 14.05.2010 की डी पी ई ओ.एम. नं. 18(8)-2005-जी एम में निर्धारित सभी शर्तो का पालन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट के साथ अभ्यासरत कंपनी सचिव मै. सुदीष्ट ठाकुर एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के प्रमाण-पत्र सहित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तो का अनुपालन किया है।

37. गठन और विकास

आपकी कंपनी के एफ एण्ड डी विभाग द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी के क्षेत्र में नए विकास और मूल्य परिवर्धन के लिए अनुसंधान और विकास में वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य किया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान एफ एण्ड डी विभाग में किसी भी तरह का व्यय नहीं किया है।

38. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

वर्ष के दौरान कंपनी ने आईएसओ प्रमाण पत्र 9001:2015, जी एम पी प्रमाण पत्र, प्रदूषण विभाग की ओर से प्रमाण-पत्र, फैक्ट्री लाइसेंस आदि प्राप्त किए/नवीनीकृत किए है।

39. कॉर्पोरेट संचार

आपकी कंपनी ने अपने मूल्य पर आधारित संस्था के रूप में, आपको राष्ट्र निर्माण को किफायती लागत पर गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य रक्षा उत्पाद एवं सेवाओं के प्रदायक के रूप में, मौजूद रखने के लिए बहुत से संचार हस्तक्षेप अपनाया है। घोषणा, अद्यतन, उपलब्धियां, वृद्धि, प्रचालनात्मक और वित्तीय मोर्चे पर हाल ही के विकास संबंधित सूचना और बातचीत, सभी हितधारकों के साथ के सुकर प्रसार करने की दृष्टि से वेबसाइट और सामाजिक मीडिया पर अद्यतन करने के अतिरिक्त आपकी कंपनी द्वारा नियमित प्रेस विज्ञप्तियां और प्रेस बैठक आयोजित की गयी है और कर्मचारियों के साथ प्रबंध के लगातार अभिमुख बातचीत का भी आयोजन किया गया है।

क्रमशः.....10

40. सतर्कता

सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ कम्पनी द्वारा देखी जा रही है। जो कि निम्न मदों पर कंपनी के सभी स्तरों में सत्यनिष्ठा एवं अखण्डता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

देशभर के विविध यूनिटों/कार्यालयों के अपने कर्मचारियों को मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और संगत सहायता प्रदान करना।

अपने सभी हितधारकों को निवारक सतर्कता सलाह और प्रणाली सुधार निर्देशों के प्रसार।

कंपनी के विद्यमान नियम और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक सतर्कता निरीक्षण, अन्वेषण, जांच पड़ताल, सिस्टम अध्ययन आदि को आयोजित करना और

सक्षम प्राधिकारी समुचित उधारात्मक कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सतर्कता उपलब्धियों को सुरक्षित रखता है।

41. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना अधिकार (आर टी आई) अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है, जो कंपनी के उत्तरदायित्व और पारदर्शिता पर प्रबुद्ध करने के सिलसिले में सूचना प्रदान करके आम जनता को शक्ति देता है। कंपनी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है कि आर टी आई अधिनियम 2005 से विविध सक्षम प्रावधानों को पूर्णत: कार्यान्वित किया जाये। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त आर टी आई अधिनियम, 2005 से आवेदन और निपटान की गई संख्या नीचे दी जाती है-

1 अप्रैल 2019 के दौरान लंबित आर टी आई आवेदन	-
वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त आर टी आई आवेदन	36
वर्ष 2019-20 के दौरान निपटान किए आर टी आई आवेदन	36
31 मार्च 2020 तक लंबित आर टी आई आवेदन	-

सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन के अलावा कम्पनी को सी.पी.आई.ओ. के फैसले के खिलाफ 6 अपील प्राप्त हुई हैं, जिसे न्यायाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अटेंड किया गया तथा अपीलों का निवारण किया गया।

42. उधार गारंटी या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अधीन कोई उधार या गारंटी नहीं दिया है।

43. समंनुषगियों एवं संयुक्त उद्यम

कंपनी के पास किसी भी तरह के व्यापार के लिए कोई भी संमनुषगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

क्रमश:.....11

44. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी को इसके कारोबार की प्रकृति और प्रचालन के आधार एवं जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेन-देन प्राधिकृत, अभिलिखित हैं और सही तरीके से प्रतिवेदित है और परिसंपत्तियां अप्राधिकृत उपयोग या प्रकृति की हानि से बचाती है और संरक्षित की जाती है। ये प्रणालियाँ सांविधिक के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा लगातार जांच और प्रमाणित की जाती हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में लेखा परीक्षकों द्वारा सुधार पाया या देखा जाता है व उनकी रिपोर्ट में बताया गया है।

45. विजिल मेकानिसम/विसिल ब्लोवर नीति

कंपनी ने लोक शिकायत अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामित किया है, ताकि कर्मचारियों, अधिकारियों एवं जनता को उनसे जुड़े हुए अनैतिक व्यवहार या कंपनी के नियमों के उल्लंघन के रिपोर्ट पर औपचारिक समाधान दिया जा सके। हालांकि वर्तमान में कंपनी के पास इस तरह की बातों के समाधान के लिए कोई औपचारिक नीति नहीं हैं। प्रबंधन यह आश्वासित करता है कि आने वाले साल में विसल ब्लोवर नीति बना ली जाएगी। यह माना जाता है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को प्रबंध निदेशक तथा अंकेक्षक तक पहुंचने में रोका नहीं गया है एवं किसी भी शिकायत को देखे बिना छोड़ा नहीं गया है।

46. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पास किए गए कंपनी के कामकारी कारोबार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और मूर्त आदेश नहीं है जो कंपनी के कामकारी कारोबारवाला को प्रभावित करे।

47. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता, यदि कोई

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच में कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं है।

48. लेखा परीक्षक

48.1 सांविधिक लेखा परीक्षक
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने मै. अनिल शालिनी एवं एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, 94-डी, पॉकेट-एफ., मयूर विहार, फेस-2, दिल्ली-110091 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बनाए गए अवलोकन/प्रतिबंध उस पर संगत टिप्पणियों के साथ पठित स्वत: स्पष्ट है। अत: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अगली कोई टिप्पणी के लिए आमंत्रित नहीं है।

क्रमश:.....12

48.2 लागत लेखा परीक्षक

लागत लेखा परीक्षक नियम, 2014 के अधीन निर्धारित विविध उत्पादों के संदर्भ में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखे की लागत लेखा परीक्षा करने को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एच.सी.बी. एण्ड कम्पनी, लागत लेखाकार, दिल्ली को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में हुई।

49. आई.एम.पी.सी.एल. पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव :

कोविड–19 महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाईयों की खपत में बढ़ोत्तरी हुई है। कोविड–19 महामारी में इम्युनो बूस्टिंग आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति के फलस्वरूप आई.एम.पी.सी.एल. ने वृद्धि दर्ज की है जिसने हमारे कारोबार में विशेष योगदान दिया है।

50. प्रशंसा और कृतज्ञता

आपके निदेशक, आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से प्राप्त किए जा रहे बहुमूल्य मार्ग निर्देश, समर्थन एवं सहकारिता का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए उनका लगातार समर्थन का भी प्रतीक्षा करते हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत परीक्षकों, सचिवालीय लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए सहकारिता और समर्थन के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

निदेशक, कंपनी के बैंकर्स, विनियामक प्राधिकारी, ग्राहक, विक्रेता, परामर्शदाता, प्रौद्योगिक लैसेन्सकर्ता, ठेकेदार और अन्य व्यवसाय ऐसोसिएट्स एवं विक्रय भागीदारों को कंपनी के प्रति उनके लगातार सहयोग एवं विकास पर कृतज्ञता व्यक्त करने को इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, सभी स्तर के कर्मचारियों को उनके कठिन मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के प्रति गहरी सराहना भी व्यक्त करते हैं। कर्मचारियों के उत्साह और संपूर्ण श्रम ने कंपनी को उद्योग के नेता के रूप में बने रहने के लिए सक्षम बना दिया है।

निदेशक मंडल की तरफ से

(डॉ. मुकेश कुमार)	**(विक्रम सिंह)**
प्रबन्ध निदेशक	**निदेशक**
डिन नं0 08792177	**डिन नं0 08559981**

स्थान : मोहान

दिनांक : 22.02.2021

क्रमशः.....13

संलग्नक-I

फार्म नं एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण
आई0एम0पी0सी0एल0 के 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के नियम 12(1) के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:-

I)	सी0आई0एन0	:	**यू2431यूआर1978जीओआई004637**
ii)	पंजीकरण तारीख	:	**12.07.1978**
iii)	कम्पनी का नाम	:	**इन्डियन मैडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
iv)	कम्पनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	**गवरमैन्ट कम्पनी**
v)	पंजीकरण कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	:	**मोहान, जिला अल्मोड़ा (वाया रामनगर-244715) (उत्तराखण्ड)**
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी	:	**नहीं**
vii)	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता व संपर्क विवरण, यदि कोई है	:	**लागू नहीं**

II. कम्पनी के मुख्य व्यवसाय कार्यकलाप

कम्पनी के कुल व्यापारार्क्त के 10% या उसके अधिक योगदान कर रहे सभी व्यवसाय कार्यकलापें घोषित किए जांगे :-

क्र0सं0	**मुख्य उत्पादें/सेवाओं का नाम व विवरण**	**उत्पाद/सेवा के एन आई सी कोर्ड**	**कम्पनी के कुल व्यापारार्क्त की %**
1	आयुर्वेदिक औषधि	21003	78
2	यूनानी औषधि	21003	22

III. नियंत्रण, समनुशंगी और सहयोगी कम्पनियों के विवरण

क्र0सं0	कम्पनी के नाम व पता	सी आई एन/ जी एल एन	नियंत्रण/ समनुयंगी/ सहयोगी	रखे गए शेयरों की %	लागू धारा
लागू नहीं					

IV. शेयर होल्डिंग पैर्टन (कुल इक्विटी की प्रतिशतताः के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अन्त में रखे गए शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमेट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमेट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयुएफ	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य		
(ख) केन्द्र सरकार	शून्य	51000,000	51000,000	98.11	शून्य	51000,000	51000,000	98.11	**शून्य**
(ग) राज्य सरकार (रें)	शून्य	980000	980000	1.89	शून्य	980000	980000	1.89	**शून्य**
(घ) निकाय कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ड़) बैंक/एफ आई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(च) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
उप-कुल (क) (1):-	शून्य	51980,000	51980,000	100	शून्य	51980,000	51980,000	100	
(2) विदेशी									
(क) एन आर आई-व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ख) अन्य-व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ग) निकायें कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(घ) बैंक/एफ आई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
(ड़) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
उप-कुल (क) (2):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
प्रमोटर का कुल शेयरधारण (क)(1)+(क)(2)	शून्य	51980,000	51980,000	100	शून्य	51980,000	51980,000	100	

क्रमशः.....14

(ख) सार्वजनिक हिस्सेदारी									
1. संस्थाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(क) म्यूचल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) बैंक/एफ आई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(घ) राज्य सरकार (रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ड़) उद्यम पूँजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(च) बीमा कम्पनी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(छ) एफ आई आई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(प) अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप-कुल (ख)(1):-									
2. गैर संस्थाएँ									
(क) निकायें कॉर्पोरेशन									
(i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) प्रवासी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) व्यक्ति									
(i) रू0 1 लाख तक अंकित मूल्य का व्यक्तिगत शेयर पूँजी शेयरहोंल्डिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) रू 01 लाख तक अधिक अंकित मूल्य के शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
उप-कुल (ख) (2):-									
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) = (ख)(1)-(ख)(2) जी डी आर एवं ए डी आर के लिए अभिरक्षक द्वारा रखे गए शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	51,980,000	51,980,000	100	शून्य	51,980,000	51,980,000	100	शून्य

(ii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी

क्र.सं.	शेयर धारकों का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में हिस्सेदारी			वर्ष के अन्त में हिस्सेदारी			
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारप्रस्त शेयरों की प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारप्रस्त शेयरों की प्रतिशत	वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में परिवर्तन प्रतिशत
1	राष्ट्रपति भारत सरकार	50,998,700	98.1122	शून्य	50,998,700	98.1122	शून्य	शून्य
2	सचिव (आयुष)	1100	0.0021	शून्य	1100	0.0021	शून्य	शून्य
3	अपर सचिव (आयुष)	100	0.0002	शून्य	100	0.0002	शून्य	शून्य
4	निदेशक (आयुष)	100	0.0002	शून्य	100	0.0002	शून्य	शून्य
5	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उद्यम)	980,000	1.8853	शून्य	980,000	1.8853	शून्य	शून्य
	कुल	51,980,000	100	शून्य	51,980,000	100	शून्य	शून्य

क्रमश:.....15

(iii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नही है तो, कृपया स्पष्ट करें)

क्र.सं.	प्रमोटरों के प्रत्येक शेयर धारकों के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारम्भ में	51,980,000	100	51,980,000	100
2	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिदिष्ट करके वर्ष के दौरान प्रमोटरोंकी हिस्सेदारी में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा आवंटन/ स्थानांतरण/बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि):	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	वर्ष के अन्त में :-	51,980,000	100	51,980,000	100

(iv) उच्च दस शेयरधारकों के हिस्सेदारी स्वरूप (जी डी आर एवं ए डी आर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा)

क्र.सं.	उच्च प्रत्येक दस शेयरधराकों के लिए	वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी		कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारम्भ में	51,980,000	100	51,980,000	100
2	वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/स्थानांतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अन्त में	51,980,000	100	51,980,000	100

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

क्र.सं.	उच्च प्रत्येक निदेशकों और मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारम्भ में	100	0.0002	100	0.0002
2	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिदिष्ट करके वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/ स्थानांतरण/ बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अन्त में	100	0.0002	100	0.0002

क्रमशः.....16

V. ऋण

शेष/उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की ऋणप्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए देय नही

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋण i) मूल रकम ii) देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	लागू नहीं			
कुल (i+ii+iii)	लागू नहीं			
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन • जोड़ • कमी	लागू नहीं			
निवल परिवर्तन	लागू नहीं			
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋण i) मूल रकम ii) देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	लागू नहीं			
कुल (i+ii+iii)	लागू नहीं			

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क - प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक की पारिश्रमिक:

क्र0सं0	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक/डब्लूडीटी/प्रबन्धक के नाम	कुल योग
	प्रबन्ध निदेशक	लागू नहीं	
1.	संकल वेतन (क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1)में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख)आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य (ग) वेतन के बजाय लाभ के अधीन	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य
4.	कमीशन - लाभ की प्रतिशत के रूप में - अन्य स्पष्ट करें	शून्य	शून्य
5.	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य
	कुल (क)	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा		

क्रमशः.....17

ख- अन्य निदेशकों की पारिश्रमिकः

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल रकम
1	स्वतंत्र निदेशक · बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क · कमीशन · अन्य स्पष्ट करे	---------	---------	---------	---------	
	कुल (1)					
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक · बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क · कमीशन · अन्य स्पष्ट करे	प्रमोद कुमार पाठक	एफ.एल. खोबुंग	जी.आर.रैगर	राज कुमार	
	कुल (2)	---------	---------	---------	---------	
	कुल (ख)=(1+2)	---------	---------	---------	---------	
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	---------	---------	---------	---------	
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा	---------	---------	---------	---------	

ग -प्रबन्ध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यू टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कुल प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी ई ओ	कम्पनी सचिव	सी एफ ओ	कुल
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य । (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के वजाय लाभ ।	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	13,13,822.00 शून्य 7000.00	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	13,13,822.00 शून्य 7000.00
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3	उद्यम विकल्प	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
4	कमीशन - लाभ की प्रतिशत के रूप में - अन्य स्पष्ट करें	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
5	अन्य स्पष्ट करें (भविष्य निधि)	लागू नहीं	1,34,225.00	लागू नहीं	1,34,225.00
	कुल	लागू नहीं	14,55,047.00	लागू नहीं	14,55,047.00

क्रमशः.....18

VII. जुर्माना/दण्ड/अपराध का समझौता करना:

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए जुर्माना/दंड अधिरोपित अपराध शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आर डी/एन सी एल टी/ अदालतें)	यदि कोई अपील बनाया गया है (विवरण दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता करना	शून्य				
ख. निदेशक					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता करना	शून्य				
ग. भूल-चूक में अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता करना	शून्य				

(विक्रम सिंह)
निदेशक
डिन नं0 08559981

(पंकज कुमार झा)
कम्पनी सचिव
एम.नं. ए27214

क्रमशः.....19

निदेशकगण की रिपोर्ट से सम्बद्ध संलग्नक

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) को कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढ़ें जाने पर मिली जानकारी के तहत निदेशक रिपोर्ट का भाग है :

क. ऊर्जा का संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम:
–सौर ऊर्जा की सहायता से कुछ सामग्री को सुखाया जा रहा है ।

ख) ऊर्जा के प्रयोग में कटौती के लिए अतिरिक्त निवेशों और प्रस्तावों को, यदि कोई है, कार्यान्वित किया जा रहा है
– कंपनी द्वारा सोलर ड्रायर को प्रतिस्थापित किया गया।

ग) ऊर्जा के प्रयोग में कटौती के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) से सम्बन्धित उपायों का प्रभाव और माल के उत्पादन की लागत पर पड़ने वाला परिणामी प्रभाव
–सौर ऊर्जा के प्रयोग की सहायता से शुष्कीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा (बिजली) उपयोग में बचत हुई और उसके द्वारा माल के उत्पादन सम्बन्धी लागत की कटौती के आंकड़े परिमाणित नहीं हैं।

घ) **प्रपत्र क** के अनुसार ऊर्जा का कुल प्रयोग और उत्पादन के प्रति यूनिट ऊर्जा का प्रयोग ।

(क) ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग

		2019-2020	2018-2019
1.	**बिजली**		
	क्रय यूनिट	864637	916520
	कुल राशि (रूपयों में)	7660684.00	7113773.00
	दर/यूनिट (रूपयों में)	8.86	7.76
	स्वयं उत्पादित		
	डीजल जेनरेटर द्वारा		
	यूनिट	लागू नहीं	लागू नहीं
	डीजल तेल के प्रति लीटर यूनिट	लागू नहीं	लागू नहीं
	लागत/यूनिट	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्टीम टरबाईन/जेनरेटर के द्वारा		
	यूनिट	लागू नहीं	लागू नहीं
	डीजल यूनिट प्रति लीटर	लागू नहीं	लागू नहीं
	लागत/यूनिट	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	**कोयला (मात्रा विनिर्दिष्ट करने के साथ वह स्थान जहां यह प्रयुक्त हुआ है)**		
	मात्रा (टनों में)	शून्य	शून्य
	कुल लागत	शून्य	शून्य
	औसत दर	शून्य	शून्य

क्रमशः.....20

3.	**भट्टी का तेल** मात्रा (कि./ली.) कुल राशि औसत दर	शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
4.	**अन्य/आंतरिक उत्पादन**** (ईधन, कन्डा, एल.पी.जी. गैस व डीजल) मात्रा (कि.ग्रा./ली.) (क्विंटल में) कुल राशि दर **डीजल** मात्रा (कि.ग्रा./ली.) (क्विंटल में) कुल राशि औसत दर	 924615 4327201.00 4.68 88064.11 5724167.00 65.00	 1003420.00 4073885.00 4.06 127485.40 8541523.00 67.00

**खरीदी गई मात्रा और मूल्य को प्रदर्शित किया गया है ।

(ख) उत्पादन की प्रति यूनिट खपत

विवरण	2019.20	2018.19
बिजली कुल राशि यूनिट	**6.74**	**6.70**
भट्टी का तैल कुल राशि यूनिट	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
अन्य निर्दिष्ट ईंधन **(कन्डा, लकड़ी एवं डीजल)** कुल राशि यूनिट	**8.84**	**11.88**

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(a)	प्रपत्र - ख के अनुसार प्रौद्योगिकी समावेशन में किए गए प्रयास अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)	
	1. उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया जाए जिनमें अनुसंधान और विकास कार्य को कंपनी द्वारा निष्पादित किया गया ।	सी.सी.आर.ए.एस. और सी.सी.आर.यू.एम.द्वारा जारी आई.एम.सी. योजनाओं के तहत विभिन्न उत्पादों का विकास एवं निर्माण किया जा रहा है। 1. वटियों का गोलियों में परिवर्तन। 2. आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी/भस्म यौगिकों की गुणवत्ता मानक एवं निर्माण प्रक्रिया के मानक संचालन प्रक्रिया पर विशेष निबन्ध का विकास
	2. उपर्युक्त अनुसंधान और विकास कार्य के फलस्वरूप प्राप्त लाभ	व्यवसाय एवं गुणवत्ता में सुधार
	3. भविष्य की कार्य-योजना	भारतीय चिकित्सा पद्धति के उत्पादों का मानकीकरण एवं प्रक्रिया में प्रमाणिकीकरण

क्रमशः.....21

	4.अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (क)पूंजीगत– (ख)आवर्ती– (ग)कुल– (घ)कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में– कुल अनुसंधान और विकास व्यय	 - - - -

प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुकूलन और नवाचार

1.	प्रौद्योगिकी, समावेशन, अनुकूलन और नवाचार के संबंध में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा	कम्पनी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के लिए यौगिकों / दवाओं का विकास किया गया है। कम्पनी के पास उत्पादन के सभी स्तरों पर स्वयं की जाँच सुविधा उपलब्ध है।
2.	उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप अर्थात् उत्पाद, सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास, आयात, प्रतिस्थापन आदि में प्राप्त लाभ।	कृपया उपर्युक्त को देखें ।
3.	आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष प्रारम्भ से लेकर गत 5 वर्षो के दौरान आयातित) के मामले में निम्नांकित सूचना दी जाए:	
	(क)आयातित प्रौद्योगिकी	शून्य
	(ख)आयात का वर्ष	शून्य
	(ग)क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णतः आत्मसात कर लिया गया है।	शून्य
	(घ)यदि नहीं किया गया है तो पूर्ण रूप से आत्मसात किए गए क्षेत्र जहां ऐसा नहीं हुआ है तो उसके कारण और भविष्य की कार्य योजना बताई जाए।	शून्य

ग.विदेशी मुद्रा उपार्जन और निर्गमन:

(क)	निर्यात से सम्बन्धित क्रियाकलाप, निर्यात बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम, उत्पादों और सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात सम्बन्धी योजनाएं	शून्य
(ख)	प्रयुक्त एवं उपार्जित कुल विदेशी मुद्रा ।	शून्य

निदेशक मण्डल की तरफ से।

(डॉ. मुकेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
डिन नं0 08792177

(विक्रम सिंह)
निदेशक
डिन नं0 08559981

स्थान : मोहान
दिनांक : 22.02.2021

क्रमशः.....22

<u>संलग्नक-3</u>

I. कम्पनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत पहलः-

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) एवं स्थिरता कम्पनी की लोकाचार एवं नीति का अभिन्न अंग है और कम्पनी लगातार इसका पालन कर रही है। कम्पनी डी0पी0ई0 के द्वारा बनाए गए कम्पनी के कॉर्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व (सी0एस0आर0) गाइडलाईन का लगातार पालन कर रही है । अन्तिम वित्तीय वर्ष में, कम्पनी ने उपरोक्त निधि के औषधीय पौधों को उगाने, उसके प्रशिक्षण के लिए, अनुबंध कृषि प्रणाली के अन्तर्गत औषधि पौधों को उगाने एवं औषधि पादक बोर्ड की सहायता से औषधि बागवानी द्वारा स्वयं सेवी समूहों को उत्साहित करके उनकी आजीविका को बढ़ाने में खर्च करने की योजना बनाई गई है ।

सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के साथ-साथ कम्पनी ने अधिकतर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया है । कुल कर्मचारियों/अधिकारियों में से 100 कर्मचारी/अधिकारी स्थानीय एवं आसपास के पहाड़ियों से है । इसके अलावा उत्पादन और अन्य सम्बन्धित कार्य के उद्देश्य से 300 श्रमिक आसपास के इलाकों से दैनिक मजदूरी के आधार पर लगाये हुए हैं। कम्पनी द्वारा दूसरे स्थानों के साथ-साथ कच्चा माल उपलब्धता के आधार पर स्थानीय जगहों से खरीदा जाता है । (कुल कच्चे माल की मद लगभग 500 है) जिससे प्रति व्यक्ति को आय बढ़ाने, असमानता दूर करने, स्थनीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, राष्ट्रीय आय में योगदान एव स्थानीय एवं पिछड़े इलाकों के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास किया जाता है ।

II. कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कॉपोरेट अभिशासन पर हमारी विचारधारा

आईएमपीसीएल ने कॉर्पोरेट अभिशासन का एक सुदृढ़ ढांचा विकसित किया है जो अभिशासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटन, हितधारकों के महत्व के निरंतर विस्तार और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। आईएमपीसीएल शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संपूर्ण समाज सहित अपने हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के महत्व पर सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कॉर्पोरेट अभिशासन के विनियामक ढांचे और बुनियादी अपेक्षाओं से बहुत आगे जाने का प्रयास करता है। कंपनी ने सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों को पारदर्शिता, प्रकटन और औचित्य सुनिश्चित करने के लिए ढांचा विकसित किया है।

आईएमपीसीएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए औचित्य के चार स्तम्भों पर आश्रित है। हमारी कॉर्पोरेट संरचना व्यावसायिक कार्यविधियों और प्रकटन पद्धतियों ने कॉर्पोरेट अभिशासन नीति के साथ सुदृढ़ साम्यता प्राप्त कर ली है, जिससे लक्ष्यों तथा व्यावसायिक नैतिकता के उच्च्व स्तर की प्राप्ति हुई है।

कम्पनी का विश्वास है कि कॉर्पोरेट अभिशासन की कार्यविधियों तथा आचार संहिता का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना हमारे प्रत्येक प्रधान मूल्य को प्रतिपादन करता है, जो हमें अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि प्रतिफल प्रदान करने में समर्थ बनाता है। हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम तथा हमारे कर्मचारियो को अच्छे अवसर प्रदान करता है और आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि करने में भागीदार बनाता है।

आपकी कम्पनी में अनुसरण करने वाले कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये जाते हैं।

क्रमशः.....23

1 - निदेशक मण्डल की बनावट

मंडल की संरचना, ववसायिकता, ज्ञान और अनुभव के सर्वोत्तम मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड को सक्षम बनाता है और व्यवसाय के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान करता है । आपकी कम्पनी सरकारी उपक्रम होने से, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन आयुष मंत्रालय के माध्यम से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है । इस वर्ष के मण्डल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उचित मिश्रण है । कम्पनी के संस्था के अंतर्नियम विनिर्धारित करता है कि निदेशकों की संख्या तीन (3) से कम नहीं और दस (10) से अधिक नहीं होनी है ।

कम्पनी निदेशक मण्डल की वर्तमान शक्ति तीन (3) है

- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक
- तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है ।
- वर्ष के दौरान (1) कार्यात्मक निदेशक नामक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी, जिसकी नियुक्ति 6 जुलाई 2020 को कर दी गई है।

मण्डल की संरचना सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निगर्मित अभिशासन के दिशनिर्देशों के अनुसार प्रक्रियाधीन है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान हुई बोर्ड की बैठक तथा पिछली आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		वर्ष 2018-2019 में पिछली आम सभा (15.02.2020)
	आयोजित	भाग लिया	
भारत सरकार द्वारा नामांकित - अंशकालिक सरकारी निदेशक			
प्रोफे. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति (24.09.2018 से 06.7.2020 तक)	05	05	हाँ
श्री प्रमोद कुमार पाठक (20.07.2017 से 04.07.2019 तक)	05	03	नहीं
श्री विक्रम सिंह (04.07.2019 से आज तक)	05	04	हाँ
श्री फ्रेन्कलिन एल. खोबुंग (05.10.2016 से 26.09.2019 तक)	05	00	नहीं
श्री राज कुमार (11.01.2019 से आज तक)	05	04	नहीं

उपरोक्त तालिका निदेशकों की निदेशक मण्डल की आम सभा की उपस्थिति को दर्शाता है।

31 मार्च 2020 के अनुसार अन्य कम्पनियों में निदेशक समिति सदस्य एवं समिति अध्यक्ष के विवरण :

कम्पनी का कोई भी अन्य निदेशक एक ही समय में अन्य कम्पनी के निदेशक के रूप में पद धारित नहीं करता है।

निदेशकों के बीच परस्पर सम्बन्धों का प्रकटीकरण-**शून्य**

क्रमशः.....24

2 – बैठक

जहाँ तक संभव है पहले ही बैठक की नोटिस और कार्यसूची नोट निदेशकों को परिचालित किए गए । समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान **26.06.2019, 05.08.2019, 09.08.2019, 09.10.2019**, तथा **25.01.2020** को पाँच बोर्ड बैठकें आयोजित की गयी एवं वर्ष 2018–19 के लिये ए0जी0एम0 15.02.2020 को आयोजित की गई ।

3 – निदेशकों का पारिश्रमिक

आयुष मंत्रालय भारत सरकार, प्रबन्ध निदेशक को नियुक्त करता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रबन्ध निदेशक के पारिश्रमिक और शर्त व निबन्धन के निर्णय लिए जाते है । प्रबन्ध निदेशक को 5 वर्ष की अवधि के लिए उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक जो भी पहला हो, नियुक्त किया जाता है।

आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों को भी उनके नियुक्त पत्र के निर्देशित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है । ऐसे गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों एवं निदेशक मंडल द्वारा नियुक्ति समितियों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

4 – मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति

कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) नियम 2014 जो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ है, के साथ गठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, इस वर्ष निम्नलिखित निदेशकों/कार्यपालकों को कम्पनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) के रूप में पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के उनके वर्तमान शर्त व निबंधन पर नियुक्त किया है ।

डिन/पेन	पूरा नाम	पद
08792177	डॉ. मुकेश कुमार	प्रबन्ध निदेशक
08559981	श्री विक्रम सिंह	नामांकित निदेशक
08659789	श्री राज कुमार	नामांकित निदेशक
BKZPK9980R	पंकज कुमार झा	कम्पनी सचिव

हालांकि पत्र संख्या R-13014/32/2010–आयुष (आईएमपीसीएल) दिनांक 04 जुलाई 2019 द्वारा श्री प्रमोद कुमार पाठक, का अंशकालिक निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया था तथा इनके स्थान पर दिनांक 04 जुलाई 2019 को श्री विक्रम सिंह को नियुक्त किया गया। इसके अलावा पत्र संख्या R-13014/32/2010–आयुष (आईएमपीसीएल) दिनांक 26 सितम्बर 2019 को श्री फ्रेंकलिंन एल खोबुंग का अंशकालिक निदेशक के रूप में दिनांक 26 सितम्बर 2019 से कार्यकाल समाप्त हो गया था तथा पत्र संख्या Y-11016/03/2018–आयुष (आईएमपीसीएल) दिनांक 25 जून 2020 को डॉ. मुकेश कुमार को कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. मुकेश कुमार ने 06 जुलाई 2020 को प्रबन्ध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया तथा पत्र संख्या R-13014/08/2011–आयुष (आईएमपीसीएल) दिनांक 10 जुलाई 2020 को डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति का प्रबन्ध निदेशक के रूप में दिनांक 06 जुलाई 2020 से कार्यकाल समाप्त किया गया।

क्रमशः.....25

5 – कम्पनी नीतियाँ

5.1 संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने की नीति

कम्पनी संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटाने पर, कम्पनी अधिनियम 2013 और कम्पनी (बोर्ड की बैठक और इसके अधिकार) नियम 2014 के सभी संगत प्रावधानों का स्वरूप अनुसरण करती है ।

5.2 नामांकन और पारिश्रमिक नीति

आई0एम0पी0सी0एल0 एक सरकारी कम्पनी होने के कारण, निदेशकों को नियुक्त करने और उनका पारिश्रमिक तय करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। कम्पनी, निदेशकों की पारिश्रमिक नीतियों से सम्बन्धित डी.पी.ई. मार्गनिर्देशों के अधीन शासित करती है । कम्पनी ने इस सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित संगत मार्ग निर्देशों का अनुपालन किया था ।

6 – बोर्ड चार्टर

न्यासी के रूप में बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कम्पनी, उपलब्धियों जो कि कम्पनी के दृष्टिकोण और लक्ष्य के साथ गठबन्धित है, के लिए स्पष्ट उद्देश्य और नीतियाँ रखती हैं, बोर्ड स्ट्राटेजिक निर्देश प्रदान करता है, कॉर्पोरेट निष्पादन की समीक्षा करता है, स्ट्राटेजिक निर्णयों का प्राधिकरण और अनुवीक्षण करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और पणधारियों की हित की सुरक्षा करता है । निदेशक मण्डल ने निदेशक मण्डल द्वारा कम्पनी में अभिस्वीकृत बोर्ड चार्टर का पालन किया है, जो कम्पनी के निदेशक मण्डल के कर्तव्य, संरचना, उत्तरदायित्व और प्रचालन और उनके प्राधिकार के प्रत्यायोजन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है ।

7 – सैक्रेटेरियल स्टैडेंर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने निदेशक मण्डल की बैठक पर सैक्रेटेरियल स्टैंडेर्स (एस एस 1) और सामान्य बैठक पर सैक्रेटेरियल मानकों (एस एस 2) को अनुमोदन दिया । ये मानक क्रमशः 1 जुलाई, 2015 के प्रभाव से लागू हो गया । कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है । तद्नुसार आपकी कम्पनी ने दोनों मानकों का भरपूर अनुपालन किया है । एस एस –1 और एस एस–2 निदेशक मण्डल की बैठक, समितियों की बैठक, सामान्य बैठक और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों का आयोजन और संचालन करने के लिए सिद्धांतों का निर्धारित करते है।

8 – सामान्य बैठक :

कम्पनी की पिछले तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार हैं –

ए0जी0एम0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
39वीं	2016–17	20.12.2017	03.00 पी.एम.	नई दिल्ली
40वीं	2017–18	14.12.2018	09.00 ए.एम.	मोहान
41वीं	2018–19	15.02.2020	03.30 पी.एम.	मोहान

क्रमशः.....26

कम्पनी की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान

ए0जी0एम0	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
42वीं	2019–20	26.02.2021	12.00 पी.एम.	**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से**

9. संचार के साधन

प्लांट का स्थान :

- मोहान, वाया–रामनगर, जनपद–अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड–244715

पत्राचार हेतु पता :

कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का पता है :

मोहान, वाया–रामनगर, जनपद–अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड–244715

निदेशक मण्डल की तरफ से
इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(डॉ. मुकेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
डिन नं0 08792177

(विक्रम सिंह)
निदेशक
डिन नं0 08559981

स्थान : मोहान
दिनांक : 22.02.2021

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715
तुलन पत्र, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
I.	**इक्विटी एवं देयताऐं**			
(1)	**शेयर धारक निधि**			
	(क) शेयर पूंजी	3	519,800,000.00	519,800,000.00
	(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	4	230,400,023.63	22,65,37,998.39
(2)	**आवंटन लम्बित की शेयर आवेदन धनराशि**		-	-
(3)	**गैर-चालू देनदारियां**			
	(क) दीर्घावधि ऋण (छुट्टी का नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी)	5	19,121,565.00	1,00,77,734.00
(4)	**चालू देनदारियां**			
	(क) अल्पावधि ऋण (बैंक ओ.डी.)	6	-	81,45,995.75
	(ख) व्यापार भुगतान (लेनदार)	7	384,745,120.95	32,22,62,845.38
	(ग) अन्य चालू देनदारियां (जमानत, अग्रिम)	8	314,437,685.84	11,94,89,624.34
	(घ) अल्पावधि प्रावधान	9	16,851,059.87	6,28,89,366.72
		कुल	**1,485,355,455.29**	**1,26,92,03,564.58**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	10		
	(i) मूर्त सम्पत्तियाँ		279,393,488.70	31,44,52,554.42
	(ii) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर		732,611.00	7,32,611.00
	(ख) आस्थगित कर संपत्तियां	11	6,281,981.00	38,70,283.00
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	4,239,204.06	41,73,795.96
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) माल सूचियां	13	269,718,655.23	21,57,81,752.87
	(ख) व्यापार प्राप्तियां	14	363,660,935.77	56,71,66,770.12
	(ग) नकदी एवं नकदी समतुल्य	15	418,511,401.45	8,49,47,218.73
	(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	35,563,141.00	2,76,39,759.68
	(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	107,254,037.08	504,38,818.80
		कुल	**1,485,355,455.29**	**126,92,03,564.58**
कॉर्पोरेट जानकारी		**1**		
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		**2**		
वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां		**3 से 29**		

* अनुसूची 1 से 29 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

कृते इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोहान

दिनांक : 11.11.2020

(ह0)	(ह0)	(ह0)	(ह0)
अरविन्द कुमार अग्रवाल	पंकज कुमार झा	मुकेश कुमार	विक्रम सिंह
(मुख्य प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)	(कम्पनी सचिव)	(प्रबन्ध निदेशक)	(निदेशक)
मेम्बरशिप नं. : 32501	मेम्बरशिप नं. : A27214	डिन नं. : 08792177	डिन नं. : 08559981

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 009960सी

(अनिल कुमार शुक्ला)

सीनियर पार्टनर
मेम्बरशिप नं. : 075418
स्थान : दिल्ली

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715
लाभ एवं हानि विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**		970,406,221.01	86,83,20,199.13
	घटाऐं : उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर	-	-	-
	प्रचालनों से राजस्व (शुद्ध)	18	970,406,221.01	86,83,20,199.13
II.	अन्य आय	19	2,071,297.76	64,09,406.25
III.	कुल राजस्व (I से II)		**972,477,518.77**	**87,47,29,605.38**
IV.	**व्यय**			
	प्रयुक्त सामग्री की लागत	20	508,346,123.79	46,12,57,247.47
	कार्य प्रगति में और तैयार माल में वृद्धि/कमी	21	(49,436,672.75)	(1,14,71,128.65)
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	22	197,335,040.14	11,07,31,482.45
	वित्तीय लागत	23	344,284.00	13,50,021.00
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	36,207,404.07	419,50,282.20
	अन्य व्यय	24	283,559,326.84	19,45,26,264.37
	कुल व्यय (IV)		**976,355,506.09**	**79,83,44,168.84**
V.	**विशिष्ट पूर्वावधि मदों तथा असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		(3,877,987.32)	763,85,436.54
VI.	**विशिष्ट मदें**		-	-
VII.	**पूर्वावधि मदें (शुद्ध)**	25	(8,155,591.52)	(1,86,640.00)
VIII.	**असाधारण मदें**		-	-
IX.	**कर पूर्व लाभ/हानि (V-VI-VII-VIII)**		4,277,604.20	7,65,72,076.54
X.	**कर व्यय**			
	(क) चालू कर		2,184,464.00	1,81,02,900.00
	(ख) पूर्व वर्ष के लिए कर		-	17,55,167.00
	(ग) आस्थगित कर	11	(2,411,698.00)	9,04,347.00
XI.	**जारी प्रचालनों से लाभ/हानि**		**4,504,838.20**	**5,58,09,662.54**
XII.	**वर्ष के लिए लाभ/हानि**		**4,504,838.20**	**5,58,09,662.54**
XIII.	**प्रति अंश अर्जन**	26		
	प्रति अंश अंकित मूल्य (रुपये 10/-)			
	(क) मूल		0.09	1.07
	(ख) मिश्रित		0.09	1.07

कॉर्पोरेट जानकारी	**1**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**2**
वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां	**3 से 29**

* अनुसूची 1 से 29 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

कृते इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोहान

दिनांक : 11.11.2020

(ह0)	(ह0)	(ह0)	(ह0)
अरविन्द कुमार अग्रवाल	पंकज कुमार झा	मुकेश कुमार	विक्रम सिंह
(मुख्य प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)	(कम्पनी सचिव)	(प्रबन्ध निदेशक)	(निदेशक)
मेम्बरशिप नं. : 32501	मेम्बरशिप नं. : A27214	डिन नं. : 08792177	डिन नं. : 08559981

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 009960सी

(अनिल कुमार शुक्ला)

सीनियर पार्टनर
मेम्बरशिप नं. : 075418
स्थान : दिल्ली

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715
नकदी प्रवाह विवरणी (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
(क)	**प्रचलित गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	शुद्ध लाभ कर से पूर्व, लाभ एवं हानि विवरणी के अनुसार	4,277,604.20	765,72,076.54
समायोजित :-			
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	36,207,404.07	419,50,282.20
	अवकाश वेतन के लिए प्रावधान	4,603,417.00	685.00
	उपादान के लिए प्रावधान	18,687,972.00	37,95,966.00
	एफ.डी.आर./अन्य पर ब्याज	(1,475,556.00)	(55,99,675.00)
	पिछले वर्षों की पूर्वावधि आय/खर्चे	(8,155,591.52)	(1,86,640.00)
	उपादान भुगतान	(12,798,313.00)	(56,27,333.00)
	अवकाश नकदीकरण भुगतान	(1,449,245.00)	(39,00,000.00)
	वित्त लागत	344,284.00	13,50,021.00
	बगीचे की उत्पादन आय	(87,432.40)	(1,84,050.25)
	बोनस प्राप्त (शुद्ध)	1,817,417.00	8,87,332.00
प्रचलन लाभ कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व		**41,971,960.35**	**10,90,58,664.49**
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन			
	(वृद्धि)/कमी दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में	(65,408.10)	29,93,812.00
	(वृद्धि)/कमी अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम मृं (अग्रिम कर भुगतान तथा पूर्व वर्ष कर के अलावा)	7,076,618.68	1,25,22,736.00
	(वृद्धि)/कमी अन्य चालू परिसम्पत्तियों में	(56,815,218.28)	(3,64,74,765.59)
	(वृद्धि)/कमी माल सूचियों में(बगीचों की उत्पादन आय को छोड़कर)	(53,849,469.96)	(4,70,60,378.13)
	(वृद्धि)/कमी व्यापार प्राप्तियों में	203,505,834.35	(4,30,11,823.21)
	(वृद्धि)/कमी दीर्घावधि प्रावधान में	-	-
	(वृद्धि)/कमी अन्य चालू देनदारियों में (पूर्वावधि व्यय के अलावा)	203,103,653.02	4,78,72,643.05
	(वृद्धि)/कमी अल्पावधि प्रावधानों में (बोनस भुगतान (शुद्ध), वर्तमान कर, सी.एस.आर. प्रावधान, आर एण्ड डी एवं सतत विकास निधि को छोड़कर)	(50,683,000.85)	(6,97,35,831.28)
	(वृद्धि)/कमी व्यापार देयताओं में	62,482,275.57	(3,14,36,474.32)
	(वृद्धि)/कमी अल्पावधि उधार (शुद्ध) में	(8,145,995.75)	81,45,995.75
प्रचलनों से उत्पन्न नकदी		**348,581,249.03**	**(4,71,25,421.24)**
	कर का भुगतान (शुद्ध)	(15,000,000.00)	(1,60,00,000.00)
	सावधि जमा को छोड़कर ब्याज प्राप्त	60,300.00	55,99,675.00
	प्रचलन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	**333,641,549.03**	**(5,75,25,746.24)**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अचल परिसम्पत्तियों का क्रय	(1,148,338.35)	(96,46,633.55)
	निवेश गतिविधियों (में उपयोग) शुद्ध नकदी (ख)	**(1,148,338.35)**	**(96,46,633.55)**

कृते इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोहान

दिनांक : 11.11.2020

(ह0)	(ह0)	(ह0)	(ह0)
अरविन्द कुमार अग्रवाल	पंकज कुमार झा	मुकेश कुमार	विक्रम सिंह
(मुख्य प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)	(कम्पनी सचिव)	(प्रबन्ध निदेशक)	(निदेशक)
मेम्बरशिप नं. : 32501	मेम्बरशिप नं. : A27214	डिन नं. : 08792177	डिन नं. : 08559981

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 009960सी

(अनिल कुमार शुक्ला)

सीनियर पार्टनर
मेम्बरशिप नं. : 075418
स्थान : दिल्ली

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715
नकदी प्रवाह विवरणी (31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए)

(राशि रुपये में)

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	शेयर आवंटन राशि	-	-
	वित्त लागत	(344,284.00)	(13,50,021.00)
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	1,415,256.00	
	अल्पावधि उधार (शुद्ध)	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी (उपयोग में) (ग)	**1,070,972.00**	**(13,50,021.00)**
	शुद्ध वृद्धि/(कमी) नकदी एवं नकदी समतुल्य	33,35,64,183.77	(6,85,22,401.79)
	प्रारम्भिक शेष नकदी एवं नकदी समतुल्य	84,947,217.68	15,34,69,619.47
	अंतिम शेष नकदी एवं नकदी समतुल्य	**41,85,11,401.45**	**8,49,47,217.68**
नकदी एवं नकदी समकक्षता के घटक -			
	नकदी हाथ में	8,079.00	7,141.00
	पोस्टेज स्टाम्प हाथ में	5,516.00	7,638.00
	एस.बी.आई. मोहान में शेष	266,459,894.84	3,33,38,729.48
	एस.बी.आई. नई दिल्ली में शेष	7,841,106.12	2,82,792.16
	कॉर्पोरेशन बैंक (हरिद्वार) में शेष	5,721,810.22	2,30,344.00
	एस.बी.आई. नकद ऋण खाते में शेष	19,868,722.75	-
	एक्सिस बैंक खाते में शेष	7,209,412.65	38,59,183.81
	एस.बी.आई. मोहान (परियोजना निधि) खाते में शेष	33,695,893.09	3,69,74,628.50
	तीन महिने की सावधी जमा (बन्धक)	320,000.00	5,31,000.00
	तीन महिने की सावधी जमा (स्वतंत्र)	70,357,287.00	31,00,394.00
	तीन माह से 12 माह की परिपक्वता वाली सावधी जमा (स्वतंत्र)	1,629,685.78	12,49,585.78
	तीन माह से 12 माह की परिपक्वता वाली सावधी जमा (बन्धक)	4,987,665.00	49,87,665.00
	12 माह से अधिक परिपक्वता वाली सावधी जमा (स्वतंत्र)	106,329.00	78,117.00
	12 माह से अधिक परिपक्वता वाली सावधी जमा (बन्धक)	300,000.00	3,00,000.00

कॉर्पोरेट जानकारी	**1**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**2**
वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां	**3 से 29**

* अनुसूची 1 से 29 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

कृते इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोहान

दिनांक : 11.11.2020

(ह0)	(ह0)	(ह0)	(ह0)
अरविन्द कुमार अग्रवाल	पंकज कुमार झा	मुकेश कुमार	विक्रम सिंह
(मुख्य प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)	(कम्पनी सचिव)	(प्रबन्ध निदेशक)	(निदेशक)
मेम्बरशिप नं. : 32501	मेम्बरशिप नं. : A27214	डिन नं. : 08792177	डिन नं. : 08559981

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 009960सी

(अनिल कुमार शुक्ला)

सीनियर पार्टनर
मेम्बरशिप नं. : 075418
स्थान : दिल्ली

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715

1. <u>कॉर्पोरेट जानकारी :</u>

कम्पनी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के आधीन एवं नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है, जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत शामिल है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या यू.24231 यू.आर. 1978जी.ओ.आई. 004637 है। कम्पनी आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधी विनिर्माण एवं व्यापार के कारोबार में शामिल है।

2. <u>लेखागत नीतियां :</u>

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कम्पनी द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर/वितरक के कमीशन को छोड़कर जो कि वसूली पर देय/प्रावधान है।

2.2 स्थायी परिसंपत्तियां:

क. स्थायी परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक को अधिग्रहण/निर्माण कार्य की ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है ।

ख. स्थायी परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची II में विहित दरों पर अपलिखित मूल्य विधि के आधार पर उपलब्ध कराया गया है ।

2.3 माल सूची मूल्यांकन :

कच्ची सामग्री, पैकिंग सामग्री , उपभोज्य वस्तुओं का मूल्य लागत के आधार पर, प्रक्रियाधीन कार्यो का अनुमानित मूल्य पर एवं तैयार माल का मूल्यांकन बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो दोनों में कम हो, पर किया गया है।

2.4 दावे:

पारगमन में हुई हानि के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त दावों को 'प्राप्ति' आधार पर निष्पादित किया जाता है ।

2.5 उपादान:

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के लिए कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम की "ग्रुप ग्रेच्युटी केश अकूमलेशन स्कीम" में भागीदारी की है। गेच्युटी के दायित्व का प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वास्तविक मूल्यन प्रमाण पत्र के आधार पर स्थिति विवरण की तारीख पर किया गया है।

2.6 अधिलाभ :

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार बोनस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आच्छादित केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने से कम्पनी द्वारा उक्त निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है।

2.7 अवकाश नकदीकरण देयता:

अवकाश नकदीकरण देयता को वास्तविक मूल्यन प्रमाण पत्र के अनुसार "प्रोद्भूत आधार" पर उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारियों को देय अवकाश नकदीकरण देयता के लिए कंपनी ने जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड की "अवकाश नकदीकरण स्कीम" में भागीदारी की है।

2.8 राजस्व की पहचान:

विक्रय को लेखों में, स्वीकृत आदेशों के लिए किये गये बीजक एवं निश्चित माल के आधार पर दिखाया गया है और विक्रय को विक्रय वापसी, छूट, मूल्य रियायत और विक्रय कर के पश्चात् दिखाया गया है।

SEAL SEAL

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715
वर्ष 31 मार्च 2020 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी
(वर्ष 31 मार्च 2020 के लाभ हानि खाता तथा वर्ष 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र से सम्बन्धित एवं अधिसूचित)

3. अंश पूंजी (राशि रुपये में)

विवरण	शेयरों की संख्या	31.03.2020 को आँकड़े	शेयरों की संख्या	31.03.2019 को आँकड़े
प्राधिकृत पूंजी				
₹10 प्रति अंश मूल्य के समता अंश	75,000,000.00	750,000,000.00	75,000,000.00	750,000,000.00
कुल	**75,000,000.00**	**750,000,000.00**	**75,000,000.00**	**750,000,000.00**
अभिदत्त				
₹10 प्रति अंश के पूर्णत: चुकता समता अंश	51,980,000.00	51,98,00,000.00	51,980,000.00	51,98,00,000.00
कुल	**51,980,000.00**	**51,98,00,000.00**	**51,980,000.00**	**51,98,00,000.00**
अभिगत एवं प्रदत्त				
₹10 प्रति अंश के पूर्णत: चुकता समता अंश	51,980,000.00	51,98,00,000.00	51,980,000.00	51,98,00,000.00
कुल	**51,980,000.00**	**51,98,00,000.00**	**51,980,000.00**	**51,98,00,000.00**

3.1. अंशों की संख्या का पुर्नमिलान

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े		31.03.2019 को आँकड़े	
	शेयरों की संख्या	(राशि रुपये में)	शेयरों की संख्या	(राशि रुपये में)
समता अंश				
प्रारम्भिक शेष	51,980,000.00	51,98,00,000.00	49,280,000.00	492,800,000.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	27,00,000.00	27,000,000.00
अन्तिम शेष	**51,980,000.00**	**51,98,00,000.00**	**51,980,000.00**	**51,98,00,000.00**

3.2. 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कोई भी अंश जारी नहीं किये गये।

3.3. समता अंश से जुडे अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबन्ध

कम्पनी के इक्विटी शेयर का केवल एक ही वर्ग है जिसका मूल्य रुपये 10/- प्रति शेयर है।
लाभांश, वोट व अन्य अधिकार के सम्बन्ध में सभी इक्विटी शेयर की रैंक समरूप है।

3.4. कम्पनी के कुल इक्विटी शेयरों में 5% से अधिक शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

अंशधारकों का नाम	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	धारित अंश की संख्या	धारित अंश की प्रतिशत	धारित अंश की संख्या	धारित अंश की प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति नामित सहित	5,10,00,000.00	98.11%	5,10,00,000.00	98.11%

4. आरक्षित एवं अधिशेष (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
(क) आरक्षित पूंजी		
वर्ष के आरम्भ में शेष	440,320.00	440,320.00
वर्ष के अन्त में शेष	**440,320.00**	**440,320.00**
(ख) अधिशेष / (घाटा) लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		
वर्ष के आरम्भ में शेष	22,60,97,678.43	17,12,88,015.85
जोड़ें : आर एण्ड डी एवं सतत विकास निधि	8,97,187.00	-
जोड़ें/घटाऐं : वर्ष के लिए अधिशेष / (घाटा)	45,04,838.20	5,58,09,662.54
घटाऐं : सीएसआर के लिए निधि हस्तान्तरित	(15,40,000.00)	(10,00,000.00)
कुल	**22,99,59,703.63**	**22,60,97,678.43**
कुल योग	**23,04,00,023.63**	**22,65,37,998.43**

5. दीर्घावधि प्रावधान (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	1,91,21,565.00	1,00,77,734.00
कुल	**1,91,21,565.00**	**1,00,77,734.00**

SEAL SEAL

6. अल्पावधि उधार (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
प्रारक्षित		
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मोहान से नकद उधार	-	81,45,995.75
नोट : एस.बी.आई. नकद ऋण खाते को नकदी एवं नकदी समकक्षता के नोट नं. 15 की अनुसूची में दर्शाया गया है।		
कुल	**-**	**81,45,995.75**

7. व्यापार देयताएं (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
सामान्य परिचालन चक्र के अन्तर्गत देय विविध लेनदार	38,47,45,120.95	32,22,62,845.38
कुल	**38,47,45,120.95**	**32,22,62,845.38**

8. अन्य चालू देनदारियां (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
व्यापार / सुरक्षा जमानत	22,26,444.40	70,44,380.00
पूंजीगत खर्चो के लिए लेनदार	60,80,430.60	92,30,315.00
खर्चो के लिए देनदारी	16,09,89,400.93	7,47,58,629.34
वैधानिक देयताऐं	1,08,28,485.81	50,45,414.00
ग्राहकों एवं अन्यों से प्राप्त अग्रिम	11,05,64,831.80	172,49,133.00
कर्मचारी लेनदारी	5,20,756.00	38,378.00
अन्य देयताऐं	2,32,27,336.30	61,23,375.00
कुल	**31,44,37,685.84**	**11,94,89,624.34**

9. अल्पावधि प्रावधान (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
आयकर के लिए प्रावधान	21,84,464.00	1,81,02,900.00
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	29,42,394.00	20,12,309.00
खर्चो के लिए प्रावधान	79,23,889.87	391,84,831.72
सामूहिक सामाजिक दायित्व निधि	38,00,312.00	26,92,139.00
शोध एवं विकास निधि	-	690,585.00
सम्पोषण वृद्धि निधि	-	206,602.00
कुल	**1,68,51,059.87**	**6,28,89,366.72**

नोट : आर एण्ड डी तथा सतत विकास निधि को आरक्षित एवं अधिशेष खाते में स्थानान्तरित किया गया है।

SEAL SEAL

मै0 इन्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोहान (उत्तराखण्ड)

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूची 10 स्थायी सम्पत्तियाँ

(वर्ष 31 मार्च 2020 के लाभ हानि खाता तथा वर्ष 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र से सम्बन्धित एवं अधिसूचित)

(राशि रुपये में)

ब्यौरे	उपयोगी	सकल ब्लॉक				31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
अ. मूर्त	जीवन (वर्ष)	1.4.2019 तक का	संयोजन/ समायोजन	विक्रय/ समायोजन	31.3.2020 को	1.4.2019 को	संयोजन/ समायोजन	विक्रय/ समायोजन	31.3.2020 को	31.3.2020 को	31.3.2019 को
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
पट्टाधारित भूमि, मोहान	90	10,47,366.00	-	-	10,47,366.00	4,20,882.00	11,851.00	-	432,733.00	6,14,633.00	6,26,484.00
पट्टाधारित भूमि, रामनगर	30	4,47,260.00	-	-	4,47,260.00	3,27,993.00	14,909.00	-	342,902.00	1,04,358.00	1,19,267.00
भवन (गैर फैक्ट्री भवन)	60	57,75,501.00	-	-	57,75,501.00	54,52,666.94	15,722.81	-	54,68,389.75	3,07,111.25	3,22,834.06
फैक्ट्री भवन	30	37,57,61,229.00	-	-	37,57,61,229.00	11,51,71,413.93	2,47,48,975.88	-	13,99,20,389.81	23,58,40,839.19	26,05,89,815.07
इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन एवं उपकरण	10	2,44,10,098.22	25,000.00	-	2,44,35,098.22	1,60,30,101.69	21,64,092.00	-	1,81,94,193.69	62,40,904.53	83,79,996.40
संयत्र और मशीनें	15	8,47,56,368.75	6,90,565.00	-	8,54,46,933.75	5,20,54,809.69	59,65,699.53	-	5,80,20,509.22	2,74,26,424.53	3,27,01,559.06
जेनरेटर	10	1,11,67,652.78	-	-	1,11,67,652.78	72,10,509.40	10,13,994.07	-	82,24,503.47	29,43,149.31	39,57,143.38
प्रयोगशाला उपकरण	10	43,85,602.00	-	-	43,85,602.00	42,65,838.11	19,764.80	-	42,85,602.91	99,999.09	1,19,763.89
पुस्तकालय की पुस्तकें	5	203,561.00	-	-	203,561.00	2,01,411.93	-	-	2,01,411.93	2,149.07	2,149.07
जल प्रतिष्ठापन	10	945,505.00	-	-	945,505.00	7,76,302.00	38,730.17	-	8,15,032.30	1,30,472.70	1,69,203.00
विनिर्माण सम्बंधी उपकरण	15	66,64,311.00	35,400.00	-	66,99,711.00	60,42,788.23	1,10,102.61	-	61,52,890.84	5,46,820.16	6,21,522.77
फर्नीचर और उपस्कर	10	1,74,56,474.08	37,770.00	-	1,74,94,244.08	1,16,75,236.37	14,88,516.41	-	1,31,63,752.78	43,30,491.30	57,81,237.71
कार्यालय उपकरण	5	23,01,041.24	2,53,631.15	-	25,54,672.39	17,98,496.11	3,00,078.16	-	20,98,574.27	4,56,098.12	5,02,545.13
अन्य सम्पत्तियाँ	10	1,11,075.00	-	-	1,11,075.00	1,06,000.43	506.57	-	1,06,507.00	4,568.00	5,074.57
कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर उपकरण	3	47,32,459.91	1,05,972.20	-	48,38,432.11	41,78,500.60	3,14,461.06	-	44,92,961.66	3,45,470.45	5,53,959.31
कुल (अ)		**54,01,65,504.98**	**11,48,338.35**	-	**54,13,13,843.33**	**22,57,12,950.43**	**3,62,07,404.07**	-	**26,19,20,354.63**	**27,93,93,488.70**	**31,44,52,554.42**
पूर्व वर्ष का कुल मूर्त		**53,05,53,070.36**	**96,12,434.62**	-	**54,01,65,504.98**	**18,37,62,668.23**	**4,19,50,282.20**	-	**22,57,12,950.43**	**31,44,52,554.42**	**34,67,90,402.12**
ब. निर्माण कार्य प्रगति पर		7,32,611.00	-	-	7,32,611.00	-	-	-	-	7,32,611.00	7,32,611.00
कुल (ब)		**7,32,611.00**	-	-	**7,32,611.00**	-	-	-	-	**7,32,611.00**	**7,32,611.00**
पूर्व वर्ष निर्माण कार्य प्रगति पर		**7,32,611.00**	-	-	**7,32,611.00**	-	-	-	-	**7,32,611.00**	**7,32,611.00**
कुल		**54,08,98,115.98**	**11,48,338.35**	-	**54,20,46,454.33**	**22,57,12,950.43**	**3,62,07,404.07**	-	**26,19,20,354.63**	**28,01,26,099.70**	**31,51,85,165.42**
पूर्व वर्ष		**53,12,85,681.36**	-	-	**54,08,98,115.98**	**18,37,62,668.23**	**4,19,50,282.20**	-	**22,57,12,950.43**	**31,51,85,165.42**	**34,75,23,013.13**

i) भूमि और भवन के लिए पट्टे और विक्रय विलेख का कार्य कम्पनी के नाम पर दिनांक 26/03/2019 को निष्पादित कर दिया गया है।

ii) मोहान की भूमि का पट्टा 90 वर्षो के लिए है। इसलिए 11,851.00 रुपये की समानुपातिक पट्टा राशि को प्रत्येक वर्ष बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

iii) रामनगर की भूमि का पट्टा 30 वर्षो के लिए है। इसलिए 14,909.00 रुपये की समानुपातिक पट्टा राशि को प्रत्येक वर्ष बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

iv) अवमूल्यन की गणना परिसम्पत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की डब्ल्यू.डी.वी. के आधार पर की गई है।

v) कम्पनी ने वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य संरक्षक तथा नोडल अधिकारी देहरादून को कानूनी सलाहकार मै. एम.वी. किनी के निर्देश पर रामनगर भूमि के आत्मसमर्पण के लिए पत्र लिखा है जिसका निर्णय दिनांक 10.10.2019 को आई.एम.पी.सी.एल. के विनिवेश सम्बन्धित विषय में आयोजित मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया था।

SEAL SEAL

11. आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (राशि रुपये में)

विवरण		31.03.2020 को आँकड़े		31.03.2019 को आँकड़े
कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार डब्ल्यू.डी.वी.	27,93,93,488.70		314,452,554.57	
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार डब्ल्यू.डी.वी.	28,37,57,658.19	(43,64,169.49)	317,406,362.84	(2,953,808.27)
डी.टी.एल./(डी.टी.ए.) अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित		**(11,34,684.00)**		**(821,749.00)**
उपादान के लिए प्रावधान		1,58,66,708.00		9,97,70,49.00
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान		32,54,857.00		100,685.00
बोनस देयता		18,10,417.00		880,332.00
		1,97,97,298.00		10,958,066.00
डी.टी.एल./(डी.टी.ए.) से सम्बन्धित की आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनुमति नहीं		**(51,47,297.00)**		**(3,048,534.00)**
कुल प्रत्यक्ष कर दायित्व / (सम्पत्ति)		**(62,81,981.00)**		**(3,870,283.00)**
घटायें : आस्थगित कर दायित्व / (सम्पत्ति) अग्रसित		(38,70,283.00)		(4,774,630.00)
आस्थगित कर का इस वर्ष के लिए प्रावधान		**(24,11,698.00)**		**904,347.00**

12. दीर्घानिधि ऋण एवं अग्रिम (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
(अप्रारक्षित एवं अच्छा माना)		
जमानत राशि जमा	27,81,784.96	27,81,784.96
ऋणदाताओं को अग्रिम	8,55,869.10	790,461.00
(प्रारक्षित एवं अच्छा माना)		
पूंजीगत माल के लिए अग्रिम	6,01,550.00	601,550.00
कुल	**42,39,204.06**	**41,73,795.96**

13. माल सूचियाँ (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
तैयार माल	6,54,13,923.14	35,275,195.57
कार्य प्रगति पर	10,15,04,352.70	77,030,435.96
ऋण अनुज्ञप्ति पर क्रय माल	63,31,291.52	11,507,263.08
कच्चा माल	7,95,28,769.35	7,47,02,610.81
पैकिंग माल	1,53,29,726.02	15,436,543.45
डीजल	2,42,214.00	377,137.00
विद्युत सामान	2,63,556.00	324,098.00
अभियांत्रिक सामान	6,57,170.00	619,825.00
रखरखाव एवं उपभोज्य सामग्री	74,594.00	99,335.00
लेखन एवं छपाई	2,54,143.00	245,894.00
भवन सामग्री	1,18,915.50	163,415.00
कुल	**26,97,18,655.23**	**215,781,752.87**

SEAL SEAL

वर्ष 31 मार्च 2020 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

(वर्ष 31 मार्च 2020 के लाभ हानि खाता तथा वर्ष 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र से सम्बन्धित एवं अधिसूचित)

(राशि रुपये में)

माल सूचियों का विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	प्रारम्भिक	अन्तिम	प्रारम्भिक	अन्तिम
ऋण अनुज्ञप्ति पर क्रय माल				
व्यापक श्रेणी 1	1,15,07,263.08	63,31,291.52	-	11,507,263.08
अन्य	-	-	-	-
कुल	**1,15,07,263.08**	**63,31,291.52**	**-**	**11,507,263.08**
तैयार माल				
व्यापक श्रेणी 1	3,52,75,195.57	6,54,13,923.14	59,349,366.96	35,275,195.57
अन्य	-	-	-	-
कुल	**3,52,75,195.57**	**6,54,13,923.14**	**59,349,366.96**	**35,275,195.57**
कार्य प्रगति पर				
व्यापक श्रेणी 1	7,70,30,435.96	10,15,04,352.70	52,992,399.00	77,030,435.96
अन्य	-	-	-	-
कुल	**7,70,30,435.96**	**10,15,04,352.70**	**52,992,399.00**	**77,030,435.96**
कच्चा माल	7,47,02,610.81	7,95,28,769.35	45,675,054.00	74,702,610.81
पैकिंग माल	1,54,36,543.45	1,53,29,726.02	9,114,222.90	15,436,543.45
भण्डार	18,29,704.00	16,10,592.50	1,406,281.63	1,829,704.00
कुल	**9,19,68,858.26**	**9,64,69,087.87**	**56,195,558.53**	**91,968,858.26**
कुल योग	**21,57,81,752.87**	**26,97,18,655.23**	**168,537,324.49**	**215,781,752.87**

14. व्यापार प्राप्तियाँ (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
(अप्रारक्षित : अच्छा माना)		
अ) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया भुगतान की देय तिथि से		
– अच्छा माल	20,67,09,589.26	24,91,09,473.86
– सन्देहपूर्ण अच्छा माल	-	-
ब) अन्य	15,69,51,346.51	31,80,57,296.26
कुल	**36,36,60,935.77**	**56,71,66,770.12**

15. नकदी एवं नकदी समतुल्य (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
नकदी एवं नकदी समतुल्य		
नकदी हाथ में	8,079.00	7,141.00
पोस्टेज स्टाम्प हाथ में	5,516.00	7,638.00
एस.बी.आई. मोहान में शेष	26,64,59,894.84	3,33,38,729.48
एस.बी.आई. नई दिल्ली में शेष	78,41,106.12	2,82,792.16
कॉर्पोरेशन बैंक खाते में शेष (हरिद्वार कारखाना)	57,21,810.22	2,30,344.00
एक्सिस बैंक खाते में शेष	72,09,412.65	38,59,183.81
एस.बी.आई. मोहान (परियोजना निधि) खाते में शेष	3,36,95,893.09	3,69,74,628.50
एस.बी.आई. मोहान नकद ऋण खाते में शेष	1,98,68,722.75	-
3 महीने की सावधि जमा (स्वतंत्र)	7,03,57,287.00	31,00,394.00
3 महीने की सावधि जमा (बन्धक)	3,20,000.00	5,31,000.00
अन्य बैंक राशि		
3 माह से 12 माह तक की परिपक्वता वाली सावधि जमा (स्वतंत्र)	16,29,685.78	12,49,585.78
3 माह से 12 माह तक की परिपक्वता वाली सावधि जमा (बन्धक)	49,87,665.00	49,87,665.00
12 माह से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमा (स्वतंत्र)	1,06,329.00	78,117.00
12 माह से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमा (बन्धक)	3,00,000.00	3,00,000.00
कुल	**41,85,11,401.45**	**8,49,47,218.73**

SEAL SEAL

16. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
(अप्रारक्षित एवं अच्छा माल)		
कर्मचारियों को अग्रिम	51,174.18	50,824.00
कर्मचारियों को पर्व के लिए अग्रिम	3,82,000.00	466,202.00
कर्मचारियों को चिकित्सा के लिए अग्रिम	3,95,279.00	2,64,000.00
अन्य प्राप्तियाँ (ई.पी.एफ.ओ.)	1,12,57,094.00	-
पूर्वदात व्यय	12,48,963.82	32,91,901.68
अग्रिम कर एवं टी.डी.एस.	2,22,28,630.00	2,35,66,832.00
कुल	**3,55,63,141.00**	**2,76,39,759.68**

17. अन्य चालू सम्पत्तियाँ (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज	2,84,220.00	2,62,459.00
शुल्क एवं कर (प्रतिदेय)	9,85,77,499.46	5,01,31,727.80
मैट क्रेडिट	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	1,58,634.00	
रिवर्स चार्ज पर कर (प्राप्य)	54,554.00	
जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. (प्राप्य)	81,79,129.62	44,632.00
कुल	**10,72,54,037.08**	**5,04,38,818.80**

18. प्रचालनों से राजस्व (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
विक्रय/उत्पाद		
तैयार माल	97,04,06,221.01	86,82,73,631.13
अन्य प्रचालनों से राजस्व		
अवशिष्ठ विक्रय	-	46,568.00
कुल	**97,04,06,221.01**	**86,83,20,199.13**

टिप्पणी : वर्तमान वर्ष की अवशिष्ट बिक्री राशि को नोट सं.19(अन्य आय) में दर्शाया गया है।

19. अन्य आय (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
बागवानी उत्पादन से आय	87,432.40	1,84,050.25
बैंक एफ.डी.आर. से ब्याज	14,15,256.00	55,41,695.00
अन्य से ब्याज	60,300.00	57,980.00
अन्य आय	2,88,630.56	6,25,681.00
अवशिष्ठ विक्रय	2,19,678.80	-
कुल	**20,71,297.76**	**64,09,406.25**

20. माल की खपत (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को आँकड़े	31.03.2019 को आँकड़े
अ) क्रय		
कच्चा माल	22,89,61,083.41	27,64,43,317.35
पैकिंग माल	5,86,37,326.19	7,28,54,463.69
लोन लाईसेंस के आधार पर खरीद	22,50,76,593.02	14,69,18,993.97
माल की खपत	3,90,462.28	3,90,349.82
कुल क्रय (अ)	**51,30,65,464.90**	**49,66,07,124.83**
ब) अन्तिम रहतिया	9,48,58,495.37	9,01,39,154.26
घटाया : प्रारम्भिक रहतिया	9,01,39,154.26	5,47,89,276.90
शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ब)	**47,19,341.11**	**3,53,49,877.36**
माल की खपत (अ)-(ब)	**50,83,46,123.79**	**46,12,57,247.47**

खपत कच्चा माल	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में	
		%		%
स्वदेशी	22,41,34,924.87	100%	24,74,15,760.54	100%
आयातित *			-	0%
कुल	**22,41,34,924.87**	**100%**	**24,74,15,760.54**	**100%**

* लागत आकस्मिक क्रय के साथ

SEAL SEAL

(राशि रुपये में)

खपत पैकिंग माल	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में	
स्वदेशी	5,87,44,143.62	100%	6,65,32,143.14	100%
आयातित *	-	0%	-	0%
कुल	**5,87,44,143.62**	**100%**	**6,65,32,143.14**	**100%**
खपत भण्डार सामान	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में**		**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में**	
स्वदेशी	3,90,462.28	100%	3,90,349.82	100%
आयातित *	-	0%	-	0%
कुल	**3,90,462.28**	**100%**	**3,90,349.82**	**100%**
लोन लाईसेंस के आधार पर खरीद	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में**		**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में**	
स्वदेशी	22,50,76,593.02	100%	14,69,18,993.97	100%
आयातित *	-	0%	-	0%
कुल	**22,50,76,593.02**	**100%**	**14,69,18,993.97**	**100%**

* लागत आकस्मिक क्रय के साथ

21. माल सूचियों में बदलाव

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
(अ) वर्ष के प्रारम्भ में माल सूचियाँ		
तैयार माल	3,52,75,195.57	5,93,49,366.96
कार्य प्रगति पर	7,70,30,435.96	5,29,92,399.00
लोन लाईसेंस पर खरीद माल	1,15,07,263.08	-
पूर्ण योग (अ)	**12,38,12,894.61**	**11,23,41,765.96**
(ब) वर्ष के अन्त में माल सूचियाँ		
तैयार माल	6,54,13,923.14	3,52,75,195.57
कार्य प्रगति पर	10,15,04,352.70	7,70,30,435.96
लोन लाईसेंस पर खरीद माल	63,31,291.52	1,15,07,263.08
पूर्ण योग (ब)	**17,32,49,567.36**	**12,38,12,894.61**
माल सूचियों में वृद्धि / (कमी) (अ-ब)	**(4,94,36,672.75)**	**(1,14,71,128.65)**

22. कर्मचारियों के लाभ पर खर्च

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
वेतन एवं मजदूरी #	16,05,05,462.18	9,83,33,516.32
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों पर अंशदान	1,07,23,767.00	62,65,409.00
उपादान के लिए प्रावधान	1,86,87,972.00	37,95,966.00
छुट्टी का नकदीकरण	46,03,417.00	685.00
कर्मचारी कल्याण व्यय	28,14,421.96	23,35,906.13
कुल	**19,73,35,040.14**	**11,07,31,482.45**

#निदेशक वेतन एवं पारिश्रमिक सम्मिलित : शून्य

नोट : कर्मचारी लाभ व्यय में दिनांक 01-01-2017 से 31-08-2019 तक का संशोधित वेतन का बकाया रु. 4,89,92,753.52 सम्मिलित है।

23. वित्तीय लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
एस.बी.आई. मोहान से उधार पर ब्याज	344,090.00	13,37,096.00
एस.बी.आई. मोहान के नकदी ऋण खाते पर दण्डित ब्याज	194.00	12,925.00
कुल	**3,44,284.00**	**13,50,021.00**

SEAL SEAL

24. अन्य व्यय (राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
भाड़ा (आने वाले माल का)	3,94,162.66	524,950.70
फीस एवं शुल्क	3,25,065.24	172,436.03
विज्ञापन	2,68,288.00	545,288.00
सुरक्षा व्यय	24,07,612.96	22,55,653.44
डाक, तार, दूरभाष एवं इंटरनेट व्यय	6,07,400.01	4,30,030.25
छपाई एवं लेखन	4,76,824.78	4,59,741.04
पट्टा किराया	2,72,14,467.00	1,90,96,369.00
लोडिंग एवं अनलोडिंग शुल्क	8,580.88	3,00,698.00
ठेके के कार्य का शुल्क	-	8,13,406.00
उत्पादन व्यय	2,22,305.00	1,05,185.00
पर्व व्यय	39,50,205.25	29,30,707.79
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक (स्वतंत्र लेखा परीक्षा शुल्क)	30,000.00	30,000.00
रखरखाव एवं बागवानी व्यय	4,32,120.55	5,62,898.65
देरी शुल्क, पी.एफ., टी.डी.एस., आयकर, जीएसटी एवं सेवा कर पर ब्याज	1,27,488.00	11,21,052.00
बैंक शुल्क	38,646.12	4,39,168.22
दण्ड (सेवा कर एवं अन्य)	14,775.00	-
बिजली एवं ईंधन		
(i) बिजली शुल्क	76,60,684.27	71,13,773.32
(ii) ईंधन खर्च (डीजल)	57,24,167.20	85,41,522.74
(iii) विशेष ईंधन (जलौनी एवं कण्डा)	43,27,200.90	40,73,884.80
यात्रा एवं वाहन		
(i) निदेशक यात्रा	-	-
(ii) विदेश यात्रा	-	30,263.00
(iii) अन्य	16,31,305.20	13,84,518.20
प्रयोगशाला रखरखाव एवं परिक्षण शुल्क	26,25,615.70	21,99,180.20
कर्मचारी भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय	18,409.00	22,004.08
बीमा		
(i) रहतिया एवं इमारत बीमा	2,38,889.20	1,84,590.38
(ii) आने वाले माल का बीमा	-	-
कामगार क्षतिपूर्ति बीमा	3,55,292.49	1,61,965.80
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	8,64,710.00	3,38,800.00
मिश्रित व्यय	-	39.59
कार्यालय व्यय	8,34,499.62	3,79,283.51
मनोरंजन व्यय	1,38,335.00	96,782.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
(i) भवन	12,82,663.41	6,43,735.46
(ii) मशीनें	20,78,613.86	14,11,335.51
(iii) अन्य	1,57,830.41	1,90,823.67
दरें एवं कर	71,787.00	1,04,390.00
बिक्री एवं वितरण		
(i) छूट, कटौती एवं कमीशन	15,32,03,279.36	9,53,81,115.94
(ii) जाने वाले माल का बीमा	3,52,977.00	4,19,482.00
(iii) मार्ग में हुई हानि	-	-
(iv) किट, पैकिंग और भण्डारण व्यय	3,64,31,490.05	2,02,62,260.79
(v) वितरण में विलम्ब शुल्क	61,232.00	-
(vi) कम आपूर्ति	2,00,990.00	35,043.00
(vii) विक्रय संवर्धन व्यय	96,197.00	97,640.00
(viii) भाड़ा (जाने वाले माल का)	2,86,85,216.72	2,16,66,246.26
कुल	**28,35,59,326.84**	**19,45,26,264.37**

SEAL SEAL

मै. इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मोहान, जिला-अल्मोड़ा (वाया रामनगर) उत्तराखण्ड-244715
वर्ष 31 मार्च 2020 के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी
(वर्ष 31 मार्च 2020 के लाभ हानि खाता तथा वर्ष 31 मार्च 2020 के तुलनपत्र से सम्बन्धित एवं अधिसूचित)

25. पूर्वावधि आय (शुद्ध) **(राशि रुपये में)**

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
1. पूर्वावधि आय		
वित्तीय वर्ष 2014-15 में लिया गया आयकर अधिक प्रावधान (प्रतिलोम)	-	186,640.00
बट्टे खाते में डाले गये विगत वर्षो के अधिक प्रावधान	82,04,406.52	-
2. पूर्वावधि व्यय		
टी.डी.एस. सहित ब्याज देय	(48,815.00)	-
पूर्वावधि आय/(हानि) (शुद्ध) (1-2)	**81,55,591.52**	**186,640.00**

26. प्रति अंश आय

विवरण	31.3.2020 को आँकड़े	31.3.2019 को आँकड़े
i) लाभ एवं हानि विवरण से समता अंश धारकों के लिए कर पश्चात् शुद्ध लाभ	45,04,838.20	5,58,09,662.54
ii) प्रति समता अंश आय की गणना समता अंशों के भावित औसत का आधार लिया गया है। (मूल)	5,19,80,000.00	5,19,80,000.00
iii) प्रति समता अंश आय की गणना समता अंशों के भावित औसत को सबसम्भावित के भाजक को आधार लिया गया है। (मिश्रित)	5,19,80,000.00	5,19,80,000.00
iv) अंकित मूल्य पर समता अंश	10.00	10.00
v) मूल प्रति अंश आय	0.09	1.07
vi) मिश्रित प्रति अंश आय	0.09	1.07

27. आकस्मिक देयताऐं / प्रतिबद्धताऐं

अ. आकस्मिक देयताऐं		
वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वैट/सी.एस.टी. माँग	-	278,057.00
वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वैट/सी.एस.टी. माँग	-	1,014,442.00
वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वैट/सी.एस.टी. माँग	-	349,685.00
वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वैट/सी.एस.टी. माँग	-	9023.00
ई.पी.एफ.ओ. हल्द्वानी (7ए के तहत देयताऐं)	1,12,57,094.00	-
जी.एस.टी. अल्मोड़ा (वाहन प्रक्रिया के तहत माँग)	1,34,300.00	-
निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर माँग	23,23,311.00	23,23,311.00
निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर माँग	13,38,644.00	16,73,344.00
निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर माँग	7,65,207.00	9,56,607.00
निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर माँग	52,232.00	52,232.00
निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर माँग	4,34,249.00	-
निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आयकर माँग	3,32,376.00	-
ब. विलम्ब वितरण शुल्क		
निदेशक आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर (राजस्थान)	79,38,728.00	-
पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम लि., पंजाब	4,71,476.04	-
निदेशक स्वास्थ्य सेवायें एम.एस. मुम्बई, महाराष्ट्र	48,38,515.00	-
निदेशक आयुर्वेदिक अधिकारी, हिमांचल प्रदेश	20,61,686.00	-
निदेशक आई.एस.एम. एण्ड एच. तिबिया कॉलेज, नई दिल्ली	37,184.00	-
ब. प्रतिबद्धताऐं		
आधुनिकीकरण परियोजना के तहत पूँजी प्रतिबद्धता	23,04,914.50	23,04,914.50

28. वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमें बाजी का प्रभाव

कम्पनी के विरूद्ध लम्बित मुकद्मों का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है।

स्थान : मोहान **कृते इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

दिनांक : 11.11.2020

(ह0)	(ह0)	(ह0)	(ह0)
अरविन्द कुमार अग्रवाल	पंकज कुमार झा	मुकेश कुमार	विक्रम सिंह
(मुख्य प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)	(कम्पनी सचिव)	(प्रबन्ध निदेशक)	(निदेशक)
मेम्बरशिप नं. : 32501	मेम्बरशिप नं. : A27214	डिन नं. : 08792177	डिन नं. : 08559981

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 009960सी

(अनिल कुमार शुक्ला)

सीनियर पार्टनर
मेम्बरशिप नं. : 075418
स्थान : दिल्ली

SEAL SEAL

ख. लेखांकन टिप्पणी :

29.1 लेखांकन विधि

नीचे दर्शायी गयी लेंखाकन विधि को छोड़कर कम्पनी के खातों को प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है।

29.2 औषधियों के नमूने :

तैयार माल की इंवेन्ट्री को नमूने के लिए 1,28,796.37/- रूपये (गत वर्ष 1,50,535.36/- रूपये) की राशि के समायोजन के बाद लिया गया है।

29.3 स्टॉक की कमी/बर्बादी और नुकसान :

कच्ची सामग्री, पैकिंग सामग्री, तैयार माल आदि के समापन स्टॉक को रजिस्टर और उसकी वास्तविक उपलब्धता के अनुसार संबद्ध मात्रा के बीच की भिन्नता को कमी/बर्बादी/नुकसान के रूप में माना जाता है। इसे सामग्री का उपभोग माना जाता है व अलग से विनिर्माण, व्यापारिक व लाभ हानि लेखे में नहीं दिखाया जाता।

29.4 वैट/सीएसटी निर्धारण :

31 मार्च, 2017 तक वैट/सीएसटी निर्धारण को पूर्ण कर लिया गया है।

29.5 आयकर के लिए प्रावधान :

क) आयकर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम के नियमों के अनुसार किया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 तक की आय विवरणी को कंपनी द्वारा दाखिल कर दिया गया है।

ख) आयकर पर ब्याज

आईसीएआई की मार्गदर्शक टिप्पणी के अनुपालनार्थ आयकर पर ब्याज को पृथक रूप से दर्शाया गया है। उपलब्ध कराई गई राशि 46,323/- रुपये है। (गत वर्ष 11,20,898/- रुपये)

29.6 प्रबन्ध निदेशक को पारिश्रमिक

प्रबन्ध निदेशक को दिया गया पारिश्रमिक शून्य है। (गत वर्ष में शून्य रुपये भविष्य निधि सहित) विभागीय कार द्वारा यात्रा पर निजी खर्च शून्य रुपये किया गया है। (गत वर्ष शून्य रुपये)

29.7 लेखा परीक्षा व्यय

वर्ष 2019-20 के लिए अंकेक्षण फीस रुपये 30,000/- का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष का प्रावधान रुपये 30,000/-)।

29.8 उपादान हेतु भुगतान

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उपादान पर 89,54,454.00 रूपये का भुगतान किया गया है। (गत वर्ष 88,67,430 रुपये)।

29.9 अधिलाभ

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अधिलाभ रुपये 18,17,417.00 (पिछले वर्ष 8,80,331.51 रुपये) विनिर्माण, व्यापारिक तथा लाभ हानि लेखों में भुगतान के लिए प्रभारित किए गये हैं। अधिलाभ भुगतान नियम 1965 के अन्तर्गत निहित सीमा (8.33% से 20%) के अन्तर्गत राशि का भुगतान किया गया है।

SEAL SEAL

29.10 प्रतिभूत ऋण

कम्पनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक मोहान से रु. 300.00 लाख की नकद साख को प्रयोग किया जा रहा है। यह सीमा कम्पनी के स्टॉक एवं देनदारों के रहन द्वारा सुरक्षित की गयी है।

29.11 व्यापार प्राप्तियां

95% व्यापारिक प्राप्तियां सरकारी एजेन्सियों की है। अत: सभी व्यापारिक प्राप्तियों को अप्रारक्षित किन्तु अच्छा माना गया है।

29.12 शेष राशि की संपुष्टि

विविध देनदारों, विविध लेनदारों और अग्रिम राशियों की शेष राशि की संपुष्टि कुछ पार्टियों से अभी प्राप्त करनी शेष है।

29.13 अति लघु, लघु एवं मध्यम, उद्यम एककों को ब्याज

लघु मध्यम एवं सहायक उद्योगों के लिए निर्धारित विलंबित ब्याज के भुगतान से सम्बन्धित कोई ब्याज कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है ।

29.14 पर्यावरण

क) कंपनी घने जंगली क्षेत्र में स्थित है। कंपनी के उत्पाद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह एक छोटी परियोजना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखा गया है।

ख) जल उपकर देयता

वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 के लिए वायु प्रदूषण उपकर सहित जल उपकर देयता का भुगतान किया गया है। अभी तक और कोई बिल/दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

29.15 शेयरधारण करने की पद्धति

वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा शेयर धारण 98.11 प्रतिशत (अर्थात् 51.00 करोड़ रु.) और मैसर्स कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) द्वारा धारित शेयर 1.89 प्रतिशत (अर्थात् 0.98 करोड़ रु.) रही है।

29.16 प्रति अंश अर्जन

कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान लाभ 0.45 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। मूल एवं मिश्रित प्रति शेयर अर्जन (0.09) रुपये है।

मूल एवं भारित शेयरों की गणना/मिलान इस प्रकार है :

मूल	**2019-20**
कर के पश्चात् वर्ष के लिए लाभ (रुपये)	45,04,838.20
शेयर की भारित औसत संख्या (संख्या)	51980000
आय प्रति शेयर (रुपये)	0.09
नाममात्र मूल्य प्रति शेयर (रुपये)	10.00

मिश्रित	**2019-20**
कर के पश्चात् वर्ष के लिए लाभ (रुपये)	45,04,838.20
शेयर की भारित औसत संख्या (संख्या)	51980000
आय प्रति शेयर (रुपये)	0.09
नाममात्र मूल्य प्रति शेयर (रुपये)	10.00

वर्ष 2019-20 के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान

शेयरों की भारित औसत संख्या (मूल)

शेयर आवंटन तिथि	राशि	शेयरों की संख्या	दिनों की संख्या	कुल दिन	भारित औसत
प्रारम्भिक शेष	51,98,00,000	51,98,00,00	365	365	5,19,80,000
कुल	**51,98,00,000**	**51,98,00,00**			**5,19,80,000**

SEAL SEAL

शेयरों की भारित औसत संख्या (मिश्रित)

शेयर आवंटन तिथि	राशि	शेयरों की संख्या	दिनों की संख्या	कुल दिन	भारित औसत
प्रारम्भिक शेष	51,98,00,000.00	5,19,80,000	365	365	5,19,80,000
कुल	**51,98,00,000.00**	**5,19,80,000**			**5,19,80,000**

29.17 सम्बन्धित पार्टी का प्रकटन

लेखा मानक- 18 के प्रावधानानुसार सम्बन्धित पार्टी का प्रकटन निम्नलिखित है-

i) सहयोगी के रूप में सम्बन्धित पार्टी - मै0 कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल (राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)।

ii) **लेन-देन की प्रकृति** -

	आरम्भिक शेष	संयोजन	समायोजन	अन्तिम शेष
कच्चे माल की खरीद	1,19,556.70 जमा	26,421.00 जमा	1,45,977.70 नाम	0.00
सेवाऐं प्राप्त	82,345.00 जमा	0.00	0.00	82,345.00 जमा
निर्माण कार्य (अपूर्ण)	4,00,000.00 नाम	7,17,680.00	5,67,572,00.00 नाम	2,49,892.00 नाम

इसके साथ-साथ रहने का शुल्क का भुगतान हमारे द्वारा किया गया।

iii) **अन्य सम्बन्धित पार्टीयाँ (प्रमुख प्रबन्धन-कार्मिक)**

1. प्रोफे. (वैद्य) पी.के. प्रजापति, एम.डी. प्रभारी (24 सितम्बर 2018 से 06 जुलाई 2020 तक)
2. डॉ. मुकेश कुमार, एम.डी. (06 जुलाई 2020 से अब तक)
3. श्री पंकज कुमार झा, कम्पनी सचिव

iv) **लेन-देन की प्रकृति**

	प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक
वेतन भुगतान	14,55,047.00
बैठक शुल्क का भुगतान	0.00

29.18 समझौता ज्ञापन के तहत कम्पनी द्वारा के.एम.वी.एन. लि., नैनीताल को स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्र चालू करने के लिए लगभग 4.5 एकड़ जमीन दी गई है एवं के.एम.वी.एन. लि., नैनीताल द्वारा कथित केन्द्र चालू नहीं किया गया है।

29.19 लागत लेखा

मूल्य सूची को "मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय", वित्त मंत्रालय (भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा सभी उत्पादों के सम्बन्ध में लागत प्रक्रिया और आवश्यक अभिलेख रख रखाव को अपनाते हुए जाँचा जाता है।

29.20 आधुनिकीकरण

कम्पनी के आधुनिकीकरण का कार्य एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड को दिया गया है। मशीनों का निर्माण कार्य एवं स्थापना/प्रवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना के तहत रुपये 42.28 करोड़ की धनराशि परियोजना निधि में उपलब्ध है। 31 मार्च 2020 तक रुपये 42.05 करोड़ के कुल खर्चे परियोजना के तहत बुक किये गये हैं। रुपये 0.23 करोड़ की शेष धनराशि को पूँजी प्रतिबद्धता के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

SEAL SEAL

29.21 खण्ड प्रतिवेदन

क्योंकि कम्पनी केवल औषधि व्यवसाय में कार्य कर रही है, अत: भारतीय सनिधि लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किया गया लेखा मानक–17 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' कम्पनी के सन्दर्भ में लागू नहीं होता।

29.22 दायित्व ऋण के रूप में अस्वीकृत :

निम्नलिखित माँग उत्तराखण्ड वैट विभाग द्वारा संशोधित कर दी गई हैं।

वर्ष	माँग	टिप्पणीयाँ
2010-11	रुपये 2,78,057.00	मुकद्मा समाप्त कर दिया गया है, कोई माँग लम्बित नहीं है।
2011-12	रुपये 10,14,442.00	मुकद्मा समाप्त कर तथा रुपये 9,38,276.29 की माँग का भुगतान नवम्बर 2020 में कर दिया गया है।
2012-13	रुपये 3,49,685.00	मुकद्मा समाप्त कर दिया गया है, कोई माँग लम्बित नहीं है।
2013-14	रुपये 9,023.00	मुकद्मा समाप्त कर दिया गया है, त्रुटियों का संशोधन कर लिया गया है, कोई माँग लम्बित नहीं है।
2014-15	शून्य	मुकद्मा समाप्त कर दिया गया है, कोई माँग लम्बित नहीं है।
2015-16	शून्य	मुकद्मा समाप्त कर दिया गया है, कोई माँग लम्बित नहीं है।
2016-17	शून्य	मुकद्मा समाप्त कर दिया गया है, कोई माँग लम्बित नहीं है।

आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांग का हिसाब लेखा बही में नहीं रखा गया है। माँगों को आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

निर्धारण वर्ष	माँग	टिप्पणीयाँ	स्थिति
2012-13	रु. 13, 38,644.00	कुल माँग रुपये 16,73,344/- के 20 प्रतिशत रुपये 3,34,700/- का भुगतान अप्रैल 2019 में कर दिया गया है।	अपील सी.आई.टी(ए) में लम्बित है।
2013-14	रु. 7, 65,207.00	कुल माँग रुपये 9,56,607/- के 20 प्रतिशत रुपये 1,91,400/- का भुगतान अप्रैल 2019 में कर दिया गया है।	
2015-16	रु. 23, 23,311.00	कुल माँग रुपये 29,04,161/- के 20 प्रतिशत रुपये 5,80,850/- का भुगतान जनवरी 2019 में कर दिया गया है।	
2016-17	रु. 52,232.00	कुल माँग रुपये 55,332/- एवं रुपये 10,000/- का 20 प्रतिशत रुपये 11,100/- एवं रुपये 2,000/- क्रमानुसार का भुगतान जनवरी 2019 में कर दिया गया है।	
2017-18	रु. 4, 34,249.00	कुल माँग रुपये 5,42,819/- के 20 प्रतिशत रुपये 1,08,570/- का भुगतान दिसम्बर 2019 में कर दिया गया है।	
2019-20	रु. 3, 32,376.00	दिनांक 30 अप्रैल 2020 को प्राप्त सूचना U/s 143(1) के अनुसार आयकर विभाग द्वारा रुपये 3,32,376/- की माँग उठाई गयी है।	संशोधन के लिए अनुरोध किया गया है।

29.23 नकदी प्रवाह विवरणी :

अप्रत्यक्ष विधि से नकदी प्रवाह की सूचना दी गई, जिसमें गैर नकदी प्रकृति के सौदों के प्रवाह को, कोई स्थगन या स्त्रोतों का पूर्व या भविष्य प्रचालन पर नकदी प्राप्ति और भुगतान तथा मद को आय और व्यय के साथ निवेश और वित्त नकदी प्रवाह को पूर्व लाभ कर में समायोजित किया गया है। कम्पनी द्वारा नकदी प्रवाह से प्रचलन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों को अलग किया गया है।

29.24 अतिरिक्त सूचना :

I. संपूर्ण वर्ष नियोजित होने की स्थिति में उन कर्मचारियों पर होने वाला व्यय जिन्होंने प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 60,00,000/- रूपये अथवा वर्ष के किसी भाग में प्रतिमाह कम से कम 5,00,000/- लाख रूपये का पारिश्रमिक प्राप्त किया है – शून्य

SEAL SEAL

II. मोहान इकाई का लाईसेंसशुदा/प्रतिस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादनः

क्र. सं.	मद	इकाई	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
			2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1	गोलियां / वटी	किग्रा.	200000.00	200000.00	66120.600	126513.20
2	कैप्सूल्स	किग्रा.	50000.00	50000.00	2731.000	1052.70
3	चूर्ण	किग्रा.	600000.00	600000.00	176485.300	187660.40
4	सिरप	लीटर	300000.00	300000.00	51868.700	67388.60
5	अर्क	लीटर	50000.00	50000.00	18887.400	27666.30
6	आसव	लीटर	500000.00	400000.00	261856.000	355726.00
7	तैल	लीटर	300000.00	300000.00	63553.900	94069.45
8	मरहम	किग्रा.	30000.00	30000.00	2811.500	11346.75
9	अवलेह	किग्रा.	250000.00	250000.00	123129.500	182360.68
10.	भस्म	किग्रा.	50000.00	50000.00	3236.800	8394.00
	कुल		**2330000.00**	**2230000.00**	**770680.700**	**1062178.08**

III. इमलीखेड़ा (हरिद्वार) इकाई का लाईसेंसशुदा/प्रतिस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादनः

क्र. सं.	मद	इकाई	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
			2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1	गोलियां / वटी	किग्रा.	22000.00	22000.00	9504.10	214.93
2	कैप्सूल्स	किग्रा.	14000.00	14000.00	---	---
3	चूर्ण	किग्रा.	380000.00	380000.00	73820.90	33158.50
4	सिरप	लीटर	145000.00	145000.00	7736.50	---
5	अर्क	लीटर	---	---	---	---
6	आसव	लीटर	360000.00	360000.00	261142.80	32060.00
7	तैल	लीटर	145000.00	145000.00	13736.30	---
8	मरहम	किग्रा.	23000.00	23000.00	---	---
9	अवलेह	किग्रा.	25000.00	25000.00	281.80	---
10.	भस्म	किग्रा.	3000.00	3000.00	254.70	---
	कुल		**1117000.00**	**1117000.00**	**366477.10**	**65433.43**

इमलीखेड़ा (हरिद्वार) इकाई में उत्पादन फरवरी 2019 में शुरू कर दिया गया था।

नोट :

1. उत्पादन क्षमता उत्पाद मिश्रण के अनुसार परिवर्तनीय है।
2. उपरोक्त क्षमता एक पारी के आधार पर तय की गई है।
3. लाईसेंसशुदा व स्थापित क्षमता प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित की गई है एवं तकनीकी विषय होने के कारण अंकेक्षक द्वारा बिना सत्यापन के स्वीकार की गई है।

IV. सी.आई.एफ. आधार पर संगणित आयात का मूल्यः

		2019-20	2018-19
(i)	कच्ची सामग्री	**शून्य**	**शून्य**
(ii)	घटक और स्पेयर पार्ट्स	**शून्य**	**शून्य**
(iii)	पूंजीगत माल	**शून्य**	**शून्य**

V. विदेशी मुद्रा में व्यय :

		2019-20	2018-19
(i)	स्वत्व शुल्क (रायल्टी), व्यवसायिक जानकारी, परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य मामले	**शून्य**	**शून्य**

SEAL SEAL

VI. कच्ची सामग्री, स्पेयर पार्टों और घटकों का प्रयोग:

ब्यौरे	वर्ष 2019-20 के लिए			वर्ष 2018-19 के लिए		
	मात्रा (किग्रा/लीटर)	कीमत (रु0 पै0)	%	मात्रा (किग्रा/लीटर)	कीमत (रु0 पै0)	%
कच्ची सामग्री						
i) आयातित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) स्वदेशी	14,66,821.84	22,41,34,924.87	100%	14,82,007.61	24,74,15,760.54	100%
पैकिंग सामग्री						
i) आयातित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) स्वदेशी	*	5,87,44,143.62	100%	*	6,65,32,143.14	100%
स्पेयर और स्टॉक						
i) आयातित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) स्वदेशी	**	3,90,462.28	100%	**	3,90,349.82	100%
TOTAL :						
लोन लाईसेंस सामग्री						
i) आयातित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) स्वदेशी	*	23,02,52,564.58	100%	*	13,54,11,730.89	100%
TOTAL :						

* अभिनिश्चित नहीं

* * कम मूल्य के स्पेयर पार्ट्स घटकों के कारण मरम्मत और अनुरक्षण मे लिए गए।

VI. विदेशी विनिमय से आय :

		2019-20	2018-19
(i)	एफओबी आधार पर परिकलित सामग्री का निर्यात	शून्य	शून्य
(ii)	स्वत्व शुल्क (रायल्टी), व्यवसायिक जानकारी, परामर्श शुल्क, ब्याज और लाभांश	शून्य	शून्य
(iii)	अन्य लाभ	शून्य	शून्य

VII. विदेशी मुद्रा लाभांशों में प्रेषित राशि :

		2019-20	2018-19
(i)	अप्रवासी शेयरधारियों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	अप्रवासियों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य

VIII. तैयार माल/माल की कमी/उसके खराब होने से होने वाले नुकसान :

	मात्रा (किग्रा0/ली0)		मूल्य (रुपये में)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
पैकिंग प्रक्रिया के दौरान हुआ नुकसान	16,070.758	13,871.305	54,48,245.62	74,53,047.49
सत्यापन के दौरान कमी/(अधिकता)	116.630	61.655	40,912.98	54,007.09
माल का बिगड़ जाना	30.528	3.898	7,276.71	618.42
योग	**16,217.916**	**13,936.858**	**54,96,435.31**	**75,07,673.00**

टिप्पणी:- उपर्युक्त नुकसानों/माल के कम होने/उसके बिगड़ने को समायोजित करने के बाद तैयार माल की वस्तु सूची ली गयी है।

SEAL SEAL

X. 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान माल के विक्रय, उसके प्रारंभिक स्टॉक और समापन स्टॉक से सम्बन्धित विवरण

क्र.सं.	एकांश	उत्पाद	वर्ष के दौरान विक्रय		तैयार माल का प्रारम्भिक स्टॉक		तैयार माल का समापन स्टॉक	
			मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
1	टैबलेट/पिल्स	किग्रा.	132530.903	258,320,472.62	9620.186	14,825,723.22	10537.571	18,540,763.73
			154647.767	**289,044,953.40**	**13309.192**	**21,066,355.37**	**9620.186**	**14,825,723.22**
2	कैप्सूल	किग्रा.	4503.750	19,775,963.54	274.800	449,956.06	144.140	306,614.47
			2357.420	**7,343,173.64**	**274.410**	**683,052.21**	**274.800**	**449,956.06**
3	चूर्ण	किग्रा.	367229.950	238,147,266.90	12643.857	6,945,185.47	38897.274	22,072,778.20
			231502.756	**156,716,948.42**	**11583.690**	**10,582,369.41**	**12643.857**	**6,945,185.47**
4	सिरप	लीटर	147492.400	38,770,409.25	13396.850	2,182,305.31	7150.400	1,249,392.52
			120979.300	**31,649,994.07**	**12842.050**	**2,178,957.26**	**13396.850**	**2,182,305.31**
5	अर्क	लीटर	56900.795	6,138,872.14	3342.680	363,902.95	4536.500	373,606.50
			48729.705	**4,792,874.87**	**3745.760**	**505,166.78**	**3342.680**	**363,902.95**
6	आसव	लीटर	489750.600	113,462,019.72	23650.450	3,639,530.00	38250.450	6,061,660.66
			431238.600	**95,037,928.46**	**32809.850**	**5,040,233.79**	**23650.450**	**3,639,530.00**
7	तैल	लीटर	125256.665	128,178,111.96	10894.332	8,321,832.87	10412.171	10,823,756.84
			112016.328	**120,560,578.34**	**13483.370**	**9,056,924.09**	**10894.332**	**8,321,832.87**
8	मरहम	किग्रा.	7630.650	6,802,738.39	1622.930	1,268,664.23	664.530	592,206.30
			7122.140	**6,704,438.78**	**1008.680**	**551,213.78**	**1622.930**	**1,268,664.23**
9	अवलेह	किग्रा.	285987.520	148,028,848.75	16599.418	6,890,254.78	20972.278	10,004,400.38
			254332.130	**130,280,772.88**	**20627.230**	**8,940,546.82**	**16599.418**	**6,890,254.78**
10	भस्म	किग्रा.	8029.605	12,781,517.74	2323.834	1,895,103.76	1427.193	1,720,035.06
			12244.710	**26,141,968.27**	**1344.820**	**744,547.81**	**2323.834**	**1,895,103.76**
योग			1625312.838	970,406,221.01	94369.337	46,782,458.65	132992.507	71,745,214.66
			1375170.856	**868,273,631.13**	**111029.052**	**59,349,367.32**	**94369.337**	**46,782,458.65**

(बोल्ड में दर्शाये गये आँकड़ें पिछले वर्ष के सम्बन्ध में है।)

SEAL SEAL

29.25 आयुष मंत्रालय से विदेश यात्रा के खर्चों की प्रतिपूर्ति

आई.टी.पी.ओ. को स्थान सुरक्षित करने के लिए 3,50,000/- रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया था, कुछ कारणों की वजह से आई.एम.पी.सी.एल. के अधिकारी यात्रा करने में असमर्थ रहे तथा आयुष मंत्रालय के द्वारा सुरक्षित स्थान का इस्तेमाल किया गया। अतः 3,50,000/- रुपये की धनराशि वर्ष 2019-20 के दौरान आयुष मंत्रालय से प्राप्त कर ली गई है।

29.26 अर्थदण्डः

वर्ष 2019-20 के दौरान सेवा कर का जुर्माना रु. 9,775/- तथा वन विभाग का जुर्माना रु. 5,000/- दर्ज किया गया है।

29.27 विलम्ब से वितरण शुल्क :

वर्ष के दौरान चण्डीगढ़ प्रशासन का रुपये 61,232/- का विलम्ब वितरण शुल्क दर्ज किया गया है। इसके अलावा पाँच राज्य सरकार विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान कम्पनी द्वारा दवाईयों की आपूर्ति में देरी होने के कारणवश रुपये 1,54,08,821/- का विलम्ब शुल्क लगाया गया है। कम्पनी सम्बन्धित राज्य सरकार के विभागों से इस मामले में वार्ता कर रही है। हालांकि सम्बन्धित राशि को आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

29.28 छूट एवं कमीशन :

लाईजनर के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार, केवल वास्तविक बिक्री तथा देनदारियों से राशि प्राप्त होने पर कम्पनी कमीशन एवं प्रोत्साहन के खर्चों को लाभ / हानि खाते में दर्शाएगी। वर्ष के दौरान कम्पनी ने छूट, कमीशन एवं प्रोत्साहन में रुपये 15,32,03,279.36 (पिछले वर्ष रुपये 9,53,81,115.94) की धनराशि को बुक किया है। इसके अतिरिक्त किट, पैकिंग और भण्डारण व्यय वर्ष के दौरान वास्तविक बिक्री होने पर ही दर्शाये जाते हैं। कम्पनी ने वर्ष के दौरान किट, पैकिंग और भण्डारण व्यय में रुपये 3,64,31,490.05 (पिछले वर्ष रुपये 2,02,62,260,79) तथा जाने वाले माल का भाड़ा रुपये 2,86,85,216.72 (पिछले वर्ष रुपये 2,16,66,246.26) बुक किया गया है।

29.29 लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट :

कम्पनी ने 50 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 को कम्पनी (लागत रिकॉर्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पढ़ने पर, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की लागत लेखा परीक्षा के लिए 'लागत लेखा परीक्षक' प्रवृत्त किया है। तथा कम्पनी लागत रिकॉर्ड बनाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लागत अंकेक्षण को पूरा कर लिया गया है।

29.30 बैंक प्रत्याभूति :

कम्पनी ने 7,77,00,966.78 रुपये के सावधि जमा के विरूद्ध 56,07,665/-रुपये की बैंक प्रत्याभूति जारी की है।

29.31 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रावधान नियम 1952 के अन्तर्गत U/S 7A की कार्यवाही :

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान नियम 1952 की धारा 7ए के अन्तर्गत, मै. आई.एम.पी.सी.एल. के संविदात्मक कर्मचारियों के नवम्बर 2008 से नवम्बर 2014 के भविष्य निधि के बकाया राशि के सम्बन्ध में ई.पी.एफ.ओ. ने दिनांक 7 मई 2019 को रुपये 1,12,57,094/- राशि का वसूली आदेश जारी किया तथा दिनांक 10 जून 2019 को आई.एम.पी.सी.एल. के एस.बी.आई. खाते से स्वतः वसूल कर लिया गया।

कम्पनी द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों के नवम्बर 2008 से नवम्बर 2014 तक का भविष्य निधि का भुगतान ठेकेदार को मासिक बिल में पहले ही कर दिया गया था। अतः कम्पनी ने सम्बन्धित वसूली के खिलाफ 'केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण' अलीगंज, लखनऊ में मामला दर्ज किया है तथा राशि को नोट संख्या 16 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम के 'अन्य प्राप्य' में दर्शाया गया है।

SEAL SEAL

29.32 मासिक लीज पर दी गई आई.एम.पी.सी.एल. इमलीखेड़ा, हरिद्वार इकाई :

कम्पनी द्वारा जुलाई 2018 में रुपये 22 लाख (जी.एस.टी. अतिरिक्त) के मासिक लीज पर इमलीखेड़ा, हरिद्वार में स्थित उत्पादन इकाई ली गई, जिसमें उत्पादन कार्य जनवरी 2019 से शुरू हुआ। वर्ष 2019–20 के लिए रुपये 2.27 करोड़ की लीज (इमलीखेड़ा इकाई की 12 माह के लिए रुपये 22 लाख प्रतिमाह तथा वर्ष 2019–20 में मोहान इकाई के लिए रुपये 8,14,467/–) को नोट संख्या 24 'अन्य व्यय' में दर्शाया गया है।

29.33 वेतन संशोधन

दिनांक 3 अगस्त 2017 को डी.पी.ई. ने पत्र संख्या ओएम नं. डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 में बोर्ड स्तर एवं निचले बोर्ड स्तर तथा गैर संघीकृत पर्यवेक्षक के वेतन संशोधन को दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से स्वीकृति दी है। डी.पी.ई. के ओएम 2017 के आदेशानुसार आई.एम.पी.सी.एल. के बोर्ड निदेशकों ने बोर्ड स्तर एवं निचले बोर्ड स्तर तथा गैर संघीकृत पर्यवेक्षक के वेतन संशोधन को 182वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्रदान की।

दिनांक 16 सितम्बर 2019 को प्रशासनिक मंत्रालय (एमओ ए, वाई एण्ड एन,यू,एस एण्ड एच) ने आई.एम.पी.सी.एल. को दिनांक 01.01.2017 से प्रभवित वेतन संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।

कम्पनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित वेतन संशोधन को लागू कर दिया गया। दिनांक 01.01.2017 से 31.08.2019 तक की वेतन संशोधन राशि रुपये 4,89,92,753.52 नोट संख्या 22 'कर्मचारियों के लाभ पर खर्च' में सम्मिलित है।

29.34 आई.एम.पी.सी.एल. पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव :

कोविड–19 महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाईयों की खपत में बढ़ोत्तरी हुई है। कोविड–19 महामारी में इम्युनो बूस्टिंग आयुर्वेदिक दवाईयों की आपूर्ति के फलस्वरूप आई.एम.पी.सी.एल. ने वृद्धि दर्ज की है जिसने हमारे कारोबार में विशेष योगदान दिया है।

29.35 गत वर्ष के आंकड़ों/शब्दों को यथा आवश्यकता पुन: एकत्रित/पुन: व्यवस्थित किया गया है ।

29.36 3 से 29.36 तक की अनुसूचियाँ वित्तीय विवरण के अखण्ड भाग हैं और उन्हे प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

कृते इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : मोहान

दिनांक : 11.11.2020

(ह0)	(ह0)	(ह0)	(ह0)
अरविन्द कुमार अग्रवाल	पंकज कुमार झा	मुकेश कुमार	विक्रम सिंह
(मुख्य प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)	(कम्पनी सचिव)	(प्रबन्ध निदेशक)	(निदेशक)
मेम्बरशिप नं. : 32501	मेम्बरशिप नं. : A27214	डिन नं. : 08792177	डिन नं. : 08559981

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अनिल शालिनी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 009960सी

(अनिल कुमार शुक्ला)

सीनियर पार्टनर
मेम्बरशिप नं. : 075418
स्थान : दिल्ली

SEAL SEAL

ANIL SHALINI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

94-D, POCKET-F, MAYUR VIHAR,
PHASE-2, DELHI-110091
PH. : 011-22787142, 9871100394,
E-MAIL : anilshaliniandassociates@gmail.com
Web. : ANILSHALINIANDASSOCIATES.COM

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,
इन्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लि0
मोहान, (जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने इंडियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोहान, जिला अल्मोड़ा के वित्तीय विवरण जिसमें **31 मार्च, 2020** का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते की विवरणी तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना आदि शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबन्धन की

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के सन्दर्भ में कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 133 को नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करना, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सही और उपयुक्त सूचना देने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है । इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति एवं आंतरिक नियंत्रण पद्धति का रख-रखाव, कम्पनी सम्पत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकना तथा अन्य अनियमितताओं, उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन का चुनाव, उचित एवं विवेकपूर्ण फैसले, आतंरिक वित्तीय नियंत्रण के रख-रखाव, लेखा अभिलेखों की पूर्णता, सटिकता को सुनिश्चित करना तथा उसका अनुपालन भी शामिल है, ताकि वित्तीय विवरणियां छलकपट या त्रुटि के कारण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त हो ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है । हमने अधिनियम के प्रावधान, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों जो कि परीक्षण विवरण के अधिनियम के प्रावधान तथा नियमों के अन्तर्गत शामिल होना चाहिए उन्हें लिया है।

हमने हमारी लेखा परीक्षा का आयोजन, लेखा परीक्षा पर निर्धारित मानक 143 (10) के अनुसार किया है । इन मानकों के अपेक्षानुसार हम इस प्रकार कि उचित, आश्वासित योजना बनाते हैं, और परीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणियाँ नीतिपूरक तथा सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा की जाँच, परीक्षा के आधार पर राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल करना है ।

चयनित प्रक्रियाओं में, लेखा परीक्षकों का निर्णयों के वित्तीय विवरणियों में सामग्री के गलत अनुमान के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है । उन जोखिमों के निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कम्पनी द्वारा तैयार किये गये सम्बन्धित आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर तथा उचित वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार उचित लेखा पद्धति का डिजाइन तैयार करने पर विचार करता है, परन्तु कम्पनी के प्रभावशाली आन्तरिक नियंत्रण पर अपनी राय बताने के उद्देश्य से नहीं । लेखा परीक्षा में उपयोग में लाये गये उचित लेखा नीति और प्रबन्धन द्वारा महत्वपूर्ण आंकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

हमें विश्वास है कि, जो साक्ष्य लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए है वे हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं ।

सशर्त राय का आधार

1. अन्य चालू दायित्व, दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और व्यापार प्राप्तियाँ जो कि अनुसूची सं. 8, 12,14, में क्रमशः उल्लिखित है एवं सम्बन्धित पार्टियों के द्वारा सम्पुष्टि होना बाकी है।
2. सहमति ज्ञापन के पेज नं0 9 पर बिन्दु संख्या 6.2 के अनुसार कम्पनी का कुमॉऊ मण्डल विकास निगम लि0 के साथ चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम है । भुगतान की दशा सहमति ज्ञापन के अनुसार भुगतान निम्न प्रकार होगा ।
   (अ) द्वितीय पक्ष (के0एम0वी0एन0) व्यय एवं आय को मिलाकर वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करेगा और लाभ-हानि को द्वितीय पक्ष (के0एम0वी0एन0) एवं प्रथम पक्ष (आई0एम0पी0सी0एल0) में 70:30 के अनुपात में बाँटा जायेगा जो कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के अगले महीने में किया जायेगा ।

   सहमति ज्ञापन के पेज नं0 8 के बिन्दु संख्या 3.5 के अनुसार सहमति ज्ञापन लेखें को द्वितीय पक्ष (के0एम0वी0एन0) के द्वारा बनाया जायेगा और प्रथम पक्ष (आई0एम0पी0सी0एल0) द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जायेगा ।

   सहमति ज्ञापन के इस आय एवं व्यय को कम्पनी द्वारा अन्तिम लेखे तैयार करते समय कम्पनी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। और लेखों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्त भी नहीं की गई है ।

   लेखा मानक 18 के अनुसार बिन्दु संख्या 29.17 पर 'सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन' को अधूरा प्रकट किया गया है।

3. लेखा मानक 28 के अनुसार बिन्दु 2 में परिसम्पत्तियों की हानि का आंकलन नहीं किया गया है ।

SEAL SEAL

4. 'विधिक तथा विमियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संलग्नक (ii) एवं (iv) के अनुसार कम्पनी में विशेष तौर से प्रभावी क्रय एवं उत्पादन प्रक्रिया प्रबन्धन, मानव एवं मशीन घण्टा उपयोग, देनदारों की समय पर वसूली, बिक्री पर लगाये गये अर्थदण्ड की जानकारी लेना, उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य हानि अनुपात, रहतिया का स्टोरेज एवं रास्ते में असामान्य हानि का आकंलन की दृढ़ करने की आवश्यकता है ।

5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में महाराष्ट्र राज्य, हिमांचल राज्य तथा तिबिया कॉलेज, नई दिल्ली द्वारा आपूर्ति में देरी होने के कारणवश लगाये गये क्रमशः रुपये 48,38,515/-, 20,61,686/- तथा 37,184/- का दण्ड कम्पनी की देयताएं हैं। कम्पनी द्वारा ऐसी देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। हालांकि कम्पनी द्वारा उन्हें आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

6. वित्तीय वर्ष 2013-14 में निदेशक आयुर्वेद तथा यूनानी, अजमेर, राजस्थान द्वारा आपूर्ति में देरी होने के कारणवश लगाये गये रुपये 79,38,728/- का दण्ड कम्पनी की देयता हैं। कम्पनी द्वारा ऐसी देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। हालांकि कम्पनी द्वारा उन्हें आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

7. वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम लि. द्वारा आपूर्ति में देरी होने के कारणवश लगाये गये रुपये 4,71,476.04/- का दण्ड कम्पनी की देयता हैं। कम्पनी द्वारा ऐसी देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। हालांकि कम्पनी द्वारा उन्हें आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

8. निर्धारण वर्ष 2012-13 के रुपये 21,30,572/- की धनराशि को किताबों में, ''अग्रिम कर एवं टी.डी.एस. (आयकर प्रतिदेय)'' में दर्शाया गया है। लेकिन आयकर आदेशानुसार कोई भी प्रतिदेय देय नहीं है। तथा रुपये 3,280/-रुपये की मांग शेष है, जिसका वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है। अतः निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के लिए कम्पनी की किताबों में संचित आयकर प्रतिदेय बढ़कर 21,33,852/-रुपये हो गया है। बाद में दिनांक 26 मार्च 2019 को 16,73,344/- रुपये की जुर्माने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे लेखाबही में नहीं दर्ज किया गया तथा दिनांक 23.04.2019 को जुर्माना आदेश के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) में अपील दायर की है, जिसमें 20 प्रतिशत की धनराशि रुपये 3,34,700/- जमा की गई, परिणामस्वरूप संचित आयकर प्रतिदेय बढ़कर रुपये 24,68,552/- हो गया। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 13,38,644/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

9. निर्धारण वर्ष 2013-14(वित्तीय वर्ष 2012-13) के लिए दिनांक 28 मार्च 2019 को 9,56,607/- रुपये के जुर्माने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे कम्पनी के लेखाबही में नहीं दर्ज किया गया है। दिनांक 23.04.2019 को कम्पनी द्वारा जुर्माने के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) में अपील दर्ज की गई तथा माँग का 20 प्रतिशत रुपये 1,91,400/- जमा किया गया जिसे निर्धारण वर्ष 2013-14(वित्तीय वर्ष 2012-13) की आयकर प्रतिदेय में दिखाया गया है। हालांकि माँग का 80 प्रतिशत रुपये 7,65,207/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

SEAL SEAL

10. निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्तीय वर्ष 2014-15) में आयकर विभाग द्वारा रुपये 31,54,080/- की माँग उठाई गई जिसमें से विभाग द्वारा रुपये 2,49,920/- की (वित्तीय वर्ष 2012-13) के प्रतिदेय से कटौती कर दी गई तथा विभाग द्वारा दिनांक 09.01.2019 को शुद्ध माँग रुपये 29,04160/- की सूचना दी गई। कम्पनी द्वारा जुर्माने के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) अपील दर्ज की गई है तथा दिनांक 15.01.2019 को माँग के 20 प्रतिशत रुपये 5,80,850/- को जमा किया गया, परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2015-16 का संचित आयकर प्रतिदेय रुपये 8,30,770/- 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' में दर्शाया गया है। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 23,23,311/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

11. निर्धारण वर्ष 2016-17 के 29,88,503/- रुपये की धनराशि को किताबों में ''अग्रिम कर एवं टी.डी.एस. (आयकर प्रतिदेय)'' में दर्शाया गया है। कम्पनी ने पूर्व में 1,12,60,922/- रुपये का प्रतिदेय की कर विवरणी दाखिल की थी, जिसे 1,18,12,350/- रुपये की प्रतिदेय के साथ संशोधित किया गया, जिसके नामे मात्र रुपये 88,23,847/-की धनराशि कम्पनी को प्राप्त हुई है। बाद में दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को कम्पनी को मूल्यांकन आदेश की माँग रुपये 55,332/- तथा 10,000/- रुपये (दिनांक 10.10.2018) का जुर्माना प्राप्त हुआ, जिसे कम्पनी द्वारा लेखाबही में नहीं दर्शाया गया है। कम्पनी ने जुर्माने के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) में अपील दर्ज की है तथा दिनांक 08.01.2019 को माँग का 20 प्रतिशत रुपये 13,100/- जमा किया गया, परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2016-17 का आयकर प्रतिदेय रुपये 30,01,603/- को अन्य चालू परिसम्पत्तियों में दर्शाया गया है। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 52,232/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

12. निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा रुपये 5,42,819/- की माँग उठाई गई तथा दिनांक 27.11.2019 को माँग के आदेश जारी किये गये, कम्पनी ने आदेश के खिलाफ अपील दर्ज की है माँग का 20 प्रतिशत रुपये 1,08,570/- जमा किया गया। कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 की कुल माँग रुपये 5,42,819/- का कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 का आयकर प्रतिदेय रुपये 1,08,570/- को 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' में दर्शाया गया है। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 4,34,249/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

13. दिनांक 30.04.2020 को कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) में आयकर अधिनियम 1961 u/s 143(1) के अन्तर्गत रुपये 3,32,376/- की मूल्यांकन सूचना प्राप्त की गई। कम्पनी द्वारा संशोधन की याचिका दर्ज की गई है। कम्पनी द्वारा सम्बन्धित राशि का कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है। हालांकि इसे आकस्मिक देयताएं (नोट संख्या 27) में दर्शाया गया है।

14. टी.डी.एस. कम भुगतान की देयता, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क रुपये 6,09,895/- टी.डी.एस.ट्रेसेस में दिख रहा है, जिसे वैधानिक देय राशि के बजाय अन्य देय में बुक किया गया है।

15. वाहन जब्त के कारण रुपये 1,34,300/- जी.एस.टी. माँग के आदेश को अन्य अग्रिम में दिखाया गया है तथा कम्पनी द्वारा इसका लेखाबही में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि सम्बन्धित राशि को लेखांकन टिप्पणी की आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

SEAL SEAL

16. क्षेत्रीय पी.एफ. कमिश्नर, हल्द्वानी उत्तराखण्ड द्वारा ई.पी.एफ. एवं विविध प्रावधान नियम 1952 के U/S 8एफ. के अन्तर्गत संविदात्मक कर्मचारियों की वर्ष 2008-2014 की पी.एफ. देयताओं के लिए रुपये 1,12,57,094/- का एस.बी.आई. मोहान को रिकवरी नोटिस जारी किया गया तथा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित राशि का कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है। हालांकि इसे लेखांकन टिप्पणी की आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

17. अनुदान की पिछली लेखा नीति के कारण अचल सम्पत्ति के सकल ब्लॉक साथ ही साथ संचित अवमूल्यन का प्रारम्भिक शेष अधिमूल्यांकित है।

सशर्त राय

हमारे राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रतिबंध विचार राय पैरा के आधार में वर्णित इस मामले के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरणियाँ, एवं 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ और उनके नकद प्रवाह महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार सही और स्पष्ट दृष्टि देते हैं ।

मामले पर जोर

हम निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि

1. वित्तीय विवरणों के बिन्दु संख्या 13 'रहतिया' के अन्तर्गत, जो वर्ष के अन्त में रहतिया का मूल्य दर्शाते हैं, रहतियों के रखरखाव की अवधि 188 दिनों की दर्शायी है जो कि सामान्य से ज्यादा प्रतीत हो रही है। (वर्ष के अन्त में रहतिया का मूल्य *365/बिके माल की कीमत) (26.97*365/52.29) (बिके माल की कीमत = बिक्री-सकल लाभ, 97.04-44.75=52.29)

2. वित्तीय विवरणों के बिन्दु संख्या 2.3 पर 'महत्वपूर्ण लेखा नीति' के अन्तर्गत, जिसमें बताया गया है कि प्रक्रियाधीन रहतिया का मूल्यांकन हमेशा की तरह अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

3. वित्तीय विवरणों के बिन्दु संख्या 29.24 पर उल्लिखित, ''स्टॉक की कमी/ बर्बादी और नुकसान'' के सम्बन्ध में वित्तीय विवरणों में सामान्य एवं असामान्य हानि को अलग-अलग नहीं किया गया है, जो कि प्रबन्धन के अत्यन्त उपयोगी हो सकता है ।

4. वर्ष 2019-20 में लाइजनर एवं सी. एण्ड एफ.के लिए किये गये अनुबन्ध का अनुसरण करने पर हमें ज्ञात हुआ कि अनुबन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु अनुपस्थित हैं, जोकि इस प्रकार हैं। - ''आपूर्ति आदेश का निष्पादन स्टॉक की उपलब्धता के अधीन होगा, आई.एम.पी.सी.एल. को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आपूर्ति में निष्पादन करने का अधिकार है। एजेंट को सेवा शुल्क, अतिरिक्त कमीशन, नकद छूट तथा अन्य कोई शुल्क शुद्ध निष्पादित बिक्री पर देय होगा।''

5. उपरोक्त सभी मामलों में हमारी राय सशर्त नहीं है ।

SEAL SEAL

अन्य मामलें

1. कम्पनी हस्तलिखित खातों के साथ-साथ कम्प्यूटर पर (टेली-9) खाते बनाती है । हमने कम्प्यूटर के खातों का छापा नहीं लिया। हमने कम्प्यूटर से लिए गये तुलनपत्र के द्वारा अंकेक्षण किया है ।

2. कम्पनी पर एवं कम्पनी की तरफ से 3 विधिक मामलें लम्बित हैं, जिनके लिए कम्पनी द्वारा आकस्मिक देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है । प्रबन्धन के अनुसार विधिक मामलों में कोई बड़ी देयता नहीं बनेगी ।

3. जी.एस.टी. कर क्रेडिट के शेष का जी.एस.टी. रिटर्न से मिलान होना है।

4. लागत लेखा परीक्षण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की लागत लेखा परीक्षण प्रक्रियाधीन है।

5. उपरोक्त सभी मामलों में हमारी राय सशर्त नहीं है ।

विधिक तथा विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2015, (''आदेश'') के आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 के उप-धारा (11) के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक 'अ' विवरणी में दे रहे हैं ।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार हम निम्न रिपोर्ट करते हैं ।

(क) हमने अपनी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं ।

(ख) सर्शत राय में ऊपर दर्शाये गये मामले के प्रभाव को छोड़कर, हमारे विचार में निगम ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा का उचित बहियाँ रखी है, जो हमारे द्वारा परीक्षित बहियों से ज्ञात होता है।

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी कम्पनी के लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ।

(घ) सशर्त राय में ऊपर दर्शाये गये मामले के प्रभाव को छोड़कर, हमारे विचार में उक्त वित्तीय विवरण, लेखा मानक निर्दिष्ट के साथ कम्पनी अधिनियम (लेखा) 2014 की धरा 133 के नियम 7 का अनुपाल करते हैं ।

(ड.) निर्देशकों की अपात्रता के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 463 (ई) को देखते हुए कम्पनी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है ।

SEAL SEAL

(च) कम्पनी के वित्तीय रिपोर्ट पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की औचित्यता एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारे संलग्नक ब को देखें।

(छ) हमारे विचार में, आवश्यक सभी जानकारी, तथा दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी (अंकेक्षण) एवं अंकेक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट करते हैं–

(i) कम्पनी के पास ऐसी कोई भी लम्बित मुकदमेबाजी नहीं है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाले ।

(ii) कम्पनी के पास ऐसा कोई भी दीर्घकालिक अनुबन्ध सहित व्युत्पन्न अनुबन्ध नहीं है जिससे महत्वपूर्ण घाटा अनुमानित हो ।

(iii) कम्पनी द्वारा कोई भी राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में नहीं भेजा जाना है ।

3. वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय परीक्षण विवरण – IV नई दिल्ली, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के निर्देशानुसार हम संलग्नक आदेश में विनिर्दिष्ट निर्देशों पर अपना वक्तव्य देते हैं ।

कृते अनिल शालिनी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या–009960 सी

(अनिल कुमार शुक्ला)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 075418
स्थान – दिल्ली
दिनांक 17.11.2020

SEAL SEAL

लेखा परीक्षक 'अ' की रिपोर्ट का संलग्नक

(31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोहान, जिला अल्मोड़ा के समसंख्यक रिपोर्ट की धारा अन्य विधि तथा नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत हमारी निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर कम्पनी के वित्तीय वक्तव्यों की निष्पक्ष जाँच और हमें दी गई सूचना व जानकारी के अनुसार तथा परीक्षण के दौरान जाँची गई लेखा बही के अनुसार निम्न रिपोर्ट करते हैं:–

(i) (क) कम्पनी अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति को छोड़कर, इसके परिणात्मक ब्यौरे एवं अंकेक्षण रिपोर्ट की अचल परिसम्पत्ति पंजिका और अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है ।

(ख) प्रबंधन द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन का कार्य लम्बित है।

(ग) कम्पनी द्वारा हमें दी गई सूचना व जानकारी के अनुसार, कम्पनी 90 वर्ष के लिए पट्टेदार भूमि पर स्थित है, पट्टा कम्पनी और सिडकुल (उत्तराखण्ड) के बीच निष्पादित है।

(ii) (क) जैसा कि हमें बताया गया स्टॉक का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार प्रबन्धन द्वारा किया गया है, स्टॉक के तीसरे पक्ष के पास होने की दशा में सी.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

(ख) हमारे विचार में, आवश्यक सभी जानकारी, तथा दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार माल के भौतिक सत्यापन के लिए जो पद्धति प्रबन्धन द्वारा अपनाई गई है वह व्यापार की प्रकृति व आकार के सम्बन्ध में समुचित व पर्याप्त है ।

(ग) कम्पनी माल का उचित रिकार्ड रख रही है । वास्तविक भण्डार और बहि अभिलेख के बीच सत्यापन के बाद पाई गई विसंगति को कम्पनी की निरंतर लेखागत नीति के अनुसार खपत के रूप में माना गया है और इस स्थिति को लेखों से सम्बद्ध टिप्पणियों के माध्यम से कमी, खराब और समाप्त दिनांकित माल के रूप में दर्शाया गया है । वास्तविक एवं अवास्तविक हानि का आंकलन करने के लिए योजना वर्तमान में नहीं है ।

(iii) प्रबन्धन के कथन अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों,फर्म अन्य पार्टियों को किसी भी तरह सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड ऋण नहीं दिया गया है ।

(क) इस खण्ड के विवरण कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(ख) इस खण्ड के विवरण, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(ग) इस खण्ड के विवरण, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।

(iv) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने ऋण, निवेश, गारण्टी एवं प्रतिभूति सम्बन्धी में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का पालन किया है।

(v) हमारे विचार तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से किसी भी प्रकार की सावधी जमा इस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की है। अत: जनता से स्वीकार किये गये जमा के सम्बन्ध में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी भी अन्य सम्बन्धित प्रावधान और कम्पनी (जमा स्वीकृति) नियम 2015, लागू नहीं होंगे।

(vi) लागत लेखा के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के , अन्तर्गत लेखा को निर्दिष्ट किया गया है । हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एवं रिकॉर्ड के निरक्षण से तथा हमारी व्यापक समीक्षा के आधार पर कम्पनी लागत लेखा रिकॉर्ड बनाये रखती है।

SEAL SEAL

(vii)(क)कम्पनी संबद्ध अधिकारियों के पास अविवादित संविधिक देयताओं जैसे - कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर एवं अन्य वैधानिक देयताओं को नियमित रूप से जमा कर रही है ।

हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त के सम्बन्ध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च 2020 तक देय तिथि से 6 माह से ज्यादा की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी विवाद के कारण आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी, मूल्यवर्धित कर बकाया नहीं है। निम्नलिखित को छोड़कर -

(1)दिनांक 16 सितम्बर 2020 को डाउनलोड किये गये अनुरेखण के अनुसार टी.डी.एस. कम भुगतान, कम कटौती, ब्याज तथा देरी से दाखिल शुल्क रुपये 6,09,895/- की राशि टी.डी.एस. ट्रेसेस में दिख रही है, जिसे वैधानिक देयताओं के बजाय अन्य देयताओं में दिखाया गया है।

(2)निर्धारण वर्ष 2012-13 के रुपये 21,30,572/- की धनराशि को किताबों में, ''अग्रिम कर एवं टी.डी.एस. (आयकर प्रतिदेय)'' में दर्शाया गया है। लेकिन आयकर आदेशानुसार कोई भी प्रतिदेय देय नहीं है। तथा रुपये 3,280/-रुपये की मांग शेष है, जिसका वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है। अत: निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के लिए कम्पनी की किताबों में संचित आयकर प्रतिदेय बढ़कर 21,33,852/-रुपये हो गया है। बाद में दिनांक 26 मार्च 2019 को 16,73,344/- रुपये की जुर्माने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे लेखाबही में नहीं दर्ज किया गया तथा दिनांक 23.04.2019 को जुर्माना आदेश के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) में अपील दायर की है, जिसमें 20 प्रतिशत की धनराशि रुपये 3,34,700/- जमा की गई, परिणामस्वरूप संचित आयकर प्रतिदेय बढ़कर रुपये 24,68,552/- हो गया। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 13,38,644/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

(3)निर्धारण वर्ष 2013-14(वित्तीय वर्ष 2012-13) के लिए दिनांक 28 मार्च 2019 को 9,56,607/- रुपये के जुर्माने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे कम्पनी के लेखाबही में नहीं दर्ज किया गया है। दिनांक 23.04.2019 को कम्पनी द्वारा जुर्माने के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) में अपील दर्ज की गई तथा माँग का 20 प्रतिशत रुपये 1,91,400/- जमा किया गया जिसे निर्धारण वर्ष 2013-14(वित्तीय वर्ष 2012-13) की आयकर प्रतिदेय में दिखाया गया है। हालांकि माँग का 80 प्रतिशत रुपये 7,65,207/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

(4)निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्तीय वर्ष 2014-15) में आयकर विभाग द्वारा रुपये 31,54,080/- की माँग उठाई गई जिसमें से विभाग द्वारा रुपये 2,49,920/- की (वित्तीय वर्ष 2012-13) के प्रतिदेय से कटौती कर दी गई तथा विभाग द्वारा दिनांक 09.01.2019 को शुद्ध माँग रुपये 29,04160/- की सूचना दी गई। कम्पनी द्वारा जुर्माने के खिलाफ सी.आई.टी.(ए)अपील दर्ज की गई है तथा दिनांक 15.01.2019 को माँग के 20 प्रतिशत रुपये 5,80,850/- को जमा किया गया, परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2015-16 का संचित आयकर प्रतिदेय रुपये 8,30,770/- 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' में दर्शाया गया है। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 23,23,311/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

(5)निर्धारण वर्ष 2016-17 के 29,88,503/- रुपये की धनराशि को किताबों में ''अग्रिम कर एवं टी.डी.एस. (आयकर प्रतिदेय)'' में दर्शाया गया है। कम्पनी ने पूर्व में 1,12,60,922/- रुपये का प्रतिदेय की कर विवरणी दाखिल की थी, जिसे 1,18,12,350/- रुपये की प्रतिदेय के साथ संशोधित किया गया, जिसके नामे मात्र रुपये 88,23,847/-की धनराशि कम्पनी को प्राप्त हुई है। बाद में दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को कम्पनी को मूल्यांकन आदेश की माँग रुपये 55,332/- तथा 10,000/- (दिनांक 10.10.2018) रुपये का जुर्माना प्राप्त हुआ, जिसे कम्पनी द्वारा लेखाबही में नहीं दर्शाया गया है। कम्पनी ने जुर्माने के खिलाफ सी.आई.टी.(ए) में अपील दर्ज की है तथा दिनांक 08.01.2019 को माँग का 20 प्रतिशत रुपये 13,100/- जमा किया गया, परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2016-17 का आयकर प्रतिदेय रुपये 30,01,603/- को अन्य चालू परिसम्पत्तियों में दर्शाया गया है। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 52,232/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

SEAL SEAL

(6) निर्धारण वर्ष 2017-18 में आयकर विभाग द्वारा रुपये 5,42,819/- की माँग उठाई गई तथा दिनांक 27.11.2019 को माँग के आदेश जारी किये गये, कम्पनी ने आदेश के खिलाफ अपील दर्ज की है माँग का 20 प्रतिशत रुपये 1,08,570/- जमा किया गया। कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 की कुल माँग रुपये 5,42,819/- का कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 का आयकर प्रतिदेय रुपये 1,08,570/- को 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' में दर्शाया गया है। हालांकि, माँग का 80 प्रतिशत रुपये 4,34,249/- को लेखांकन टिप्पणियों के आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

(7) दिनांक 30.04.2020 को कम्पनी द्वारा निर्धारण वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) में आयकर अधिनियम 1961 u/s 143(1) के अन्तर्गत रुपये 3,32,376/- की मूल्यांकन सूचना प्राप्त की गई। कम्पनी द्वारा संशोधन की याचिका दर्ज की गई है। कम्पनी द्वारा सम्बन्धित राशि का कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है। हालांकि इसे आकस्मिक देयताएं (नोट संख्या 27) में दर्शाया गया है।

(8) वाहन जब्त के कारण रुपये 1,34,300/- जी.एस.टी. माँग के आदेश को अन्य अग्रिम में दिखाया गया है तथा कम्पनी द्वारा इसका लेखाबही में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि सम्बन्धित राशि को लेखांकन टिप्पणी की आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

(9) क्षेत्रीय पी.एफ. कमिश्नर, हल्द्वानी उत्तराखण्ड द्वारा ई.पी.एफ. एवं विविध प्रावधान नियम 1952 के U/S 8एफ. के अन्तर्गत संविदात्मक कर्मचारियों की वर्ष 2008-2014 की पी.एफ. देयताओं के लिए रुपये 1,12,57,094/- का एस.बी.आई. मोहान को रिकवरी नोटिस जारी किया गया तथा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित राशि का कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है। हालांकि इसे लेखांकन टिप्पणी की आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है।

(viii) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों/बैंक को भुगतान करने में चूक नहीं की है । कम्पनी ने सरकार से कोई भी ऋण नहीं लिया है और कोई भी डिवेन्चर जारी नहीं किया है।

(ix) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबन्धन द्वारा दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने 'आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव' या 'अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव' सहित ऋण पत्र या सावधि ऋण के द्वारा किसी भी तरह से राशि नहीं बनाया है। तदानुसार आदेश के खण्ड (3) (ix) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होगा। अत: टिप्पणी नहीं की गई है।

(x) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबन्धन द्वारा दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा या कम्पनी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कम्पनी में कोई भी धोखाधाड़ी इस वर्ष नहीं देखी गई है।

(xi) जैसा कि कम्पनी सरकारी कम्पनी है तो हमारे विचार में कम्पनी पर धारा 197 लागू नहीं होगी।

(xii) हमारे विचार में कम्पनी, निधि कम्पनी नहीं है। आदेश के खण्ड (4) (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारे विचार में सम्बन्धित पार्टीयों के साथ सभी लेनेदेन में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा लागू लेखा मानकों के आवश्यकतानुसार विवरणों का खुलासा वित्तीय विवरणों में किया गया है।

SEAL SEAL

(xiv) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबन्धन द्वारा दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी भी तरह का अंश का प्रिफेन्शियल आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट या परिवर्तनीय पूर्ण या आंशिक डिवेन्चर समीक्षाधीन वर्ष में निर्गत नहीं किया है।

(xv) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबन्धन द्वारा दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों व उनसे जुड़े लोगों के साथ किसी भी गैर नकद का लेनदेन नहीं किया है। तदानुसार आदेश के खण्ड (3) (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(xvi) हमारे विचार में कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदानुसार आदेश के खण्ड (3) (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

कृते अनिल शालिनी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या–009960 सी

(अनिल कुमार शुक्ला)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 075418
स्थान – दिल्ली
दिनांक 17.11.2020

SEAL SEAL

इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोहान, जिला अल्मोड़ा के समेकित वित्तीय विवरण पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा परिक्षक रिपोर्ट का संलग्नक 'ब'

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी की समेकित विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन में हमने **(इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)** की उस तारीख के रूप में वित्तीय रिर्पोटिंग पर वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी

कम्पनी का प्रबन्धन, कम्पनी की स्थापना और आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट में कहा गया है, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग मापदंड के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं–प्रारूप, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय का संचालन सही और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कम्पनी की नीतियों का पालन, सम्पत्ति की सुरक्षा, रोकथाम, धोखाधड़ी और त्रुटियाँ, लेखा अभिलेखों की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सम्बन्धी कार्य दक्षतापूर्वक किए जा रहे हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम अपना ऑडिट, ऑडिटेड मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (''गाइडेंस नोट'') पर ऑडिट के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट के अनुसार संचालित करते हैं, जो भारत की चाटेड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी, और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट की सीमा लागू करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों और आईसीएआई द्वारा जारी की गईहों।

उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और लेखापरीक्षा की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें कि उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय रिर्पोटिंग को नियंत्रित करती है, जिसमें वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री दोष के जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन शामिल है। चुनी हुई प्रतिक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण को गलत दर्शाए जाने के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि जो ऑडिट साक्ष्य हमने प्राप्त किये, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

SEAL SEAL

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक डिजाईन की गई प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, उचित विस्तार, यथार्थ और निष्पक्ष रूप से कंपनी की सम्पत्ति के स्वभाव को दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कहा कि प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और कंपनी के निर्देशित प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है और (3) के बारे में उचित आश्वासन रोकथाम या अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की संपत्ति के स्वभाव के समय का पता लगाने, जो वित्तीय बयान पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण हैं, जिनमें पता न लगाए जा सकने वाले, धोखाधड़ी होने पर या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष मिसस्टेटमेंट, मिलीभगत या नियंत्रण का ओवरराइड अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल हैं। इसके अलावा, भविष्य की अवधि लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुसार इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में कम्पनी में सभी प्रत्यक्ष मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, सभी प्रत्यक्ष मामलो में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च 2019 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में कहे आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित मानदंड वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते अनिल शालिनी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या–009960 सी

(अनिल कुमार शुक्ला)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 075418
स्थान – दिल्ली
दिनांक 17.11.2020

SEAL SEAL

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(31 मार्च, 2020 के समाप्त वर्ष के लिए इन्डियन मैडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लि0, मोहान (जिला अल्मोड़ा) के समसंख्यक रिपोर्ट की धारा, अन्य विधि तथा नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत हमारी निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

हमारे अनुसार उचित जाँचों के आधार पर एवं लेखा परीक्षा के दौरान दिये गये जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार निम्न रिपोर्ट करते हैं।

क्र.सं.	निर्देश	लेखा परीक्षक टिप्पणी
1	क्या कम्पनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा करने की प्रणाली है? यदि हाँ तो वित्तीय लेखों की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों को करने का वित्तीय प्रभाव बताइये। यदि कोई है।	हमारे विचार में तथा हमें दी गई जानकारी व सूचना के अनुसार लेखाबही का हिसाब कम्प्यूटर के टेली सॉफ्टवेयर में रखा जाता है तथा सभी लेन-देन वहीं दर्ज किये जाते हैं। उसके अलावा कोई भी आई.टी. सिस्टम की प्रणाली प्रचलन में नहीं है।
2	कम्पनी की असमर्थता के कारण लोन अदायगी के लिए कम्पनी के ऋणदाता के द्वारा मौजूदा ऋण के पुनर्गठन अथवा उधार/ऋण/ब्याज के खारिज/माफ के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों को दर्ज किया जाए।	हमारे विचार तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, उधार/ऋण/ब्याज के राईट ऑफ करने के कोई मामले नहीं है।
3	क्या केन्द्रिय/राज्य एजेन्सियों के द्वारा विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार इस्तेमाल तथा उचित तरीके से हिसाब हुआ है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमारे विचार तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्परी द्वारा किसी भी विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

कृते अनिल शालिनी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-009960 सी

(अनिल कुमार शुक्ला)
भागीदार
सदस्यता संख्या - 075418
स्थान - दिल्ली
दिनांक 17.11.2020

SEAL SEAL

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (Health, Welfare and Rural Development)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

सत्यमेव जयते

पी.डी.ए. (स्वा.क.एवं ग्रा.वि.)/ए.एम.जी.I/पीएसयू-IMPCL/2020-21/603

दिनांक 09.02.2021

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड
मोहान -जिला-अल्मोड़ा
(वाया रामनगर) - 244715 (उत्तराखण्ड)

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(बी) के अन्तर्गत इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(बी) के **इन्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणी प्रमाण पत्र (Comment Certificate) भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(पी.के. सक्सेना)
उप निदेशक
(ए.एम.जी.I)

Ph. : 91-1123702254
Fax : 91-1123702271
DGACR, Building, I.P. Estate, New Delhi- 110002
Email : pdahwrd@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन मैडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ब) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

कम्पनी अधिनियम 2013(अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डियन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधानिक लेखा परीक्षक का है। इसे उनकी दिनांक **17 नवम्बर 2020** की लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया, बताया जाता है ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(अ) के अधीन दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इण्डिन मैडिसिन्स फार्मेस्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है । यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कागजतों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जाँच तक सीमित है । मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (6)(ब) के अनुसार मैं कुछ मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए तथा मेरे विचार में वित्तीय बयान और संबंधित अंकेक्षण की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है ।

अ. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

सम्पत्ति

चालू सम्पत्ति

व्यापार प्राप्तियाँ (नोट 14) : ₹36.37 करोड़

वर्ष 2013-14 तथा 2016-17 के दौरान दवाईयों की आपूर्ति देरी से होने के कारण पाँच राज्य सरकार विभाग द्वारा लगाई गई पैनल्टी का प्रावधान प्राप्तियों में नहीं किया गया है जिससे व्यापार प्राप्तियाँ ₹1.53 करोड़ से अधिक दर्ज है। कम्पनी को इन प्राप्तियों की वसूली पर सन्देह है, जबकि संदेहास्पद व्यापार प्राप्तियों का लेखा बही में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

प्रावधान न किये जाने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियाँ अधिक दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए लाभ ₹1.53 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
लिए व उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.02.2021

(अशोक सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास)